UNIVERSAL
LIBRARY
OU_186799
UNIVERSAL
LIBRARY

चीनी लोक गणतंत्र

का

चुनाव क़ानून

-:‡‡‡:-

अखिल चीनी जन कांग्रेस और सभी स्तरों की स्थानीय जन कांग्रेसों के लिए

[११ फ़रवरी १९५३ को, केन्द्रीय लोक सरकार की कौंसिल के २२वें अधिवेशन में स्वीकृत और केन्द्रीय लोक सरकार के चेयरमैन माओ त्से-तुङ द्वारा १ मार्च १९५३ को घोषित।]

★

सूची

चीनी लोक गणतंत्र का चुनाव क़ानून १–२३

अध्याय एक — आम धाराएं १

अध्याय दो — सभी स्तरों की स्थानीय जन कांग्रेसों के लिए प्रतिनिधियों की संख्या ४

अध्याय तीन — अखिल चीनी जन कांग्रेस के लिए प्रतिनिधियों की संख्या ८

अध्याय चार — अल्पसंख्यक जातियों में चुनाव ... १०

अध्याय पांच — चुनाव कमेटियाँ १४

अध्याय छः — निर्वाचकों की रजिस्ट्री १७

अध्याय सात — चुनाव के लिए उम्मीदवारों की नामज़दगी १८

अध्याय आठ — चुनाव का तरीक़ा १९

अध्याय नौ — चुनावों को क्षति पहुंचाने वालों को सज़ा २२

अध्याय दस — परिशिष्ट २३

चुनाव क़ानून की व्याख्या ... २४–५०

चीनी लोक गणतंत्र

का

चुनाव कानून

★

अध्याय एक

— आम धाराएँ —

धारा १.

अखिल चीनी जन कांग्रेस और सभी स्तरों की जन कांग्रेसों का चुनाव, चीनी जन राजनैतिक-सलाहकार सम्मेलन के 'आम-प्रोग्राम' की १२वीं धारा के अनुसार, सार्वलौकिक मताधिकार के आधार पर सभी जातियों की जनता द्वारा होगा।

धारा २.

अखिल चीनी जन कांग्रेस और प्रांत, काउंटी, श्याङ (या क़स्बा), म्युनिसिपैलिटी और म्युनिसिपैलिटी के अधीन ज़िले के स्तरों की जन कांग्रेसों में तथा विभिन्न ख़ुदमुख़्त्यार जातीय क्षेत्रों में, प्रतिनिधियों का चुनाव, मौजूदा शासन-क्षेत्रों के बटवारे के अनुसार होगा।

धारा ३.

अखिल चीनी जन कांग्रेस और प्रांत, काउंटी तथा म्युनिसिपैलिटी (जिस के अधीन ज़िले हों) के स्तरों की जन कांग्रेसों में प्रतिनिधियों का चुनाव, उनकी अपनी अपनी, एक स्तर नीचे की, जन कांग्रेसों द्वारा होगा। श्याङ, क़स्बे, म्युनिसिपैलिटी के अधीन ज़िले और म्युनिसिपैलिटी (जिस के अधीन कोई ज़िला न हो) के स्तरों की जन कांग्रेसों का चुनाव सीधा मतदाताओं द्वारा होगा।

धारा ४.

चीनी लोक गणतंत्र के प्रत्येक नागरिक को, जिस की आयु १८ वर्ष की हो चुकी है, बिना किसी जाति, नस्ल, पेशा, लिङ्ग, सामाजिक-उत्पत्ति, धार्मिक-विश्वास, शिक्षा, जायदाद या रिहाइश की मियाद के भेदभाव के, चुनने और चुने जाने का अधिकार होगा।

स्त्रियों को पुरुषों के समान ही चुनने और चुने जाने का अधिकार होगा।

धारा ५.

निम्नलिखित लोगों को चुनने और चुने जाने का अधिकार नहीं होगा:

(१) ज़मींदार वर्ग के वे लोग जिनका दर्जा कानून के अनुसार अभी तक बदला नहीं गया है।

(२) वे क्रान्ति-विरोधी जिनके राजनैतिक अधिकार कानून के अनुसार छीन लिए गए हैं।

(३) अन्य व्यक्ति जिनके राजनैतिक अधिकार कानून के अनुसार छीन लिए गए हैं।

(४) वे लोग जिनके दिमाग़ ख़राब हैं।

धारा ६.

प्रत्येक मतदाता को एक ही मत देने का अधिकार होगा।

धारा ७.

सशस्त्र जन सेनाएं और प्रवासी चीनी अपने चुनाव अलग कर सकते हैं। ऐसे चुनावों के लिए नियम अलग निर्धारित किए जाएंगे।

धारा ८.

अखिल चीनी जन कांग्रेस और सभी स्तरों की जन कांग्रेसों के चुनावों में हुए ख़र्चे राष्ट्रीय ख़ज़ाने से अदा किए जाएंगे।

★ ★ ★

अध्याय दो

सभी स्तरों की स्थानीय जन कांग्रेसों के लिए प्रतिनिधियों की संख्या

भाग एक

— श्याङ और क़स्बे —

धारा ६.

श्याङ और क़स्बे की जन कांग्रेसों के लिए प्रतिनिधियों की संख्या: २००० तक जनसंख्या वाले श्याङ या क़स्बे १५ से २० तक प्रतिनिधि चुनेंगे, यदि जनसंख्या २००० से अधिक हो तो २० से ३५ तक प्रतिनिधि होंगे।

कोई श्याङ या क़स्बा जिस की जनसंख्या असाधारण रूप से कम है, १५ से कम प्रतिनिधि चुन सकता है, लेकिन ७ से कम नहीं चुन सकता; और जिस श्याङ या क़स्बे की जनसंख्या असाधारण रूप से अधिक है, वह ३५ से ज़्यादा प्रतिनिधि चुन सकता है, लेकिन ५० से अधिक नहीं चुन सकता।

भाग दो

— काउंटी —

धारा १०.

काउंटी जन कांग्रेसों के लिए प्रतिनिधियों की संख्या :—

२००००० तक जनसंख्या की काउंटियों से १०० से २०० तक प्रतिनिधि

चुने जाएंगे; २००००० से अधिक जनसंख्या की काउंटियों से २०० से ३५० तक प्रतिनिधि चुने जाएंगे।

जिन काउंटियों में बहुत ही थोड़े श्याङ हैं और जिन की जनसंख्या असाधारण रूप से कम है, उनमें १०० से कम प्रतिनिधि हो सकते हैं, लेकिन ३० से कम नहीं हो सकते; जिन काउंटियों की जनसंख्या असाधारण रूप से ज़्यादा है और जहां विशेष रूप से अधिक श्याङ हैं उनमें ३५० से अधिक प्रतिनिधि हो सकते हैं, लेकिन ४५० से अधिक नहीं हो सकते।

धारा ११.

श्याङ से काउंटी की जन कांग्रेसों के लिए चुने जाने वाले प्रतिनिधियों की संख्या:— २००० तक जनसंख्या के श्याङ से एक प्रतिनिधि चुना जाएगा। २००० से अधिक और ६००० तक जनसंख्या के श्याङ से दो प्रतिनिधि चुने जाएंगे। ६००० से अधिक जनसंख्या के श्याङ से तीन प्रतिनिधि चुने जाएंगे जिन काउंटियों की जनसंख्या असाधारण रूप से कम है और जहां थोड़े श्याङ हैं वहां हर श्याङ से, चाहे उसकी जनसंख्या २००० से कम हो, दो प्रतिनिधि चुने जाएंगे।

देश की सीमाओं के अंतर्गत महत्वपूर्ण औद्योगिक व खदानों के ज़िलों से और काउंटी के अधीन शहरों व कस्बों से हर ५०० लोगों पर एक प्रतिनिधि चुना जाएगा। उन स्थानों से, जहां की जनसंख्या ५०० से कम परन्तु २५० से ज़्यादा है, हर हालत में एक प्रतिनिधि चुना जाएगा। शहरों व काउंटियों के अधीन कस्बों से और उन काउंटियों से जिनकी जनसंख्या असाधारण रूप से ज़्यादा है हर १००० लोगों पर एक प्रतिनिधि चुना जाएगा।

धारा १२.

सशस्त्र जन सेनाएं प्रत्येक काउंटी की जन कांग्रेस के लिए एक से पांच तक प्रतिनिधि चुनेंगी।

भाग तीन

—— प्रांत ——

धारा १३.

प्रांतीय जन कांग्रेसों के लिए प्रतिनिधियों की संख्या :—

दो करोड़ तक जनसंख्या वाले प्रांतों से १०० से ४०० तक प्रतिनिधि चुने जाएंगे; जहां जनसंख्या दो करोड़ से ज़्यादा है वहां ४०० से ५०० तक प्रतिनिधि चुने जाएंगे। जिन प्रांतों की जनसंख्या असाधारण रूप से कम है और जहां थोड़ी काउंटियां हैं, वहां प्रतिनिधियों की संख्या १०० से कम परन्तु ५० से अधिक होगी और जिन प्रांतों की जनसंख्या असाधारण रूप से ज़्यादा है और जहां बहुत अधिक काउंटियां हैं वहां प्रतिनिधियों की संख्या ५०० से अधिक हो सकती है, परन्तु ६०० नहीं हो सकती।

धारा १४.

काउंटियों से प्रांतीय जन कांग्रेसों के लिए चुने जाने वाले प्रतिनिधियों की संख्या :— २००००० तक जनसंख्या वाली काउंटियों से एक से तीन तक प्रतिनिधि चुने जाएंगे; २००००० से अधिक और ६००००० तक जनसंख्या वाली काउंटियों से दो से चार तक प्रतिनिधि चुने जाएंगे। और ६००००० से अधिक जनसंख्या वाली काउंटियों से तीन से ५ तक प्रतिनिधि चुने जाएंगे।

प्रांत के अधीन महत्वपूर्ण औद्योगिक व खदानों के ज़िलों से तथा प्रांत के शहर व क़स्बे से हर २०००० जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना जाएगा। जिन स्थानों की जनसंख्या २०००० से कम लेकिन १०००० से ज़्यादा है वहां से हर हालत में एक प्रतिनिधि चुना जाएगा।

धारा १५.

सशस्त्र जन सेनाएं प्रत्येक प्रांतीय जन कांग्रेस के लिए तीन से पंद्रह तक प्रतिनिधि चुनेंगी।

भाग चार

— म्युनिसिपैलिटियां —

धारा १६.

म्युनिसिपल जन कांग्रेसों के लिए प्रतिनिधियों की संख्या : — एक लाख तक जनसंख्या वाली म्युनिसिपैलिटियों से हर ५०० से १००० लोगों पर एक प्रतिनिधि चुना जाएगा; १००००० से अधिक और ३५०००० तक जनसंख्या वाली म्युनिसिपैलिटियों से हर १००० से २००० लोगों पर एक प्रतिनिधि चुना जाएगा; ३५०००० से अधिक और ७५०००० तक जनसंख्या वाली म्युनिसिपैलिटियों से हर २००० से ३००० लोगों पर एक प्रतिनिधि चुना जाएगा; ७५०००० से अधिक और ६५००००० तक जनसंख्या वाली म्युनिसिपैलिटियों से हर ३००० से ५००० लोगों पर एक प्रतिनिधि चुना जाएगा; ६५००००० से अधिक जनसंख्या वाली म्युनिसिपैलिटियों से हर ५००० से ७००० लोगों पर एक प्रतिनिधि चुना जाएगा।

म्युनिसिपल जन कांग्रेस के प्रतिनिधियों की संख्या ५० से कम और ८०० से ज़्यादा नहीं होगी। उपनगरीय ज़िले के प्रत्येक प्रतिनिधि के निर्वाचकों की संख्या म्युनिसिपल ज़िले के प्रत्येक प्रतिनिधि के निर्वाचकों की संख्या से अधिक होनी चाहिए।

धारा १७.

सशस्त्र जन सेनाएं प्रत्येक म्युनिसिपल जन कांग्रेस के लिए दो से दस तक प्रतिनिधि चुनेंगी।

धारा १८.

म्युनिसिपैलिटियों के अधीन ज़िलों की जन कांग्रेसों के लिए प्रतिनिधियों की संख्या :— ज़िले के हर ५०० से २००० लोगों पर एक प्रतिनिधि चुना जाएगा; लेकिन प्रतिनिधियों की कुल संख्या ३५ से कम और २०० से ज़्यादा नहीं होगी।

अध्याय तीन

अखिल चीनी जन कांग्रेस के लिए प्रतिनिधियों की संख्या

धारा १९.

अखिल चीनी जन कांग्रेस के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव इन इलाक़ों की जन कांग्रेसें करेंगी :— प्रान्त, सीधी केंद्रीय लोक सरकार के अधीन म्युनिसिपैलिटियां, ५००००० से अधिक जनसंख्या वाली और सीधी प्रांतीय सरकारों के अधीन औद्योगिक म्युनिसिपैलिटियां, सीधी केंद्रीय लोक-सरकार के अधीन अल्पसंख्यक जातियों की शासन-इकाइयां। इसके इलावा, सशस्त्र जन सेनाओं व प्रवासी चीनियों में से भी प्रतिनिधि चुने जाएंगे।

धारा २०.

प्रत्येक प्रांत से अखिल चीनी जन कांग्रेस के लिए चुने जाने वाले प्रतिनिधियों की संख्या हर ८००००० लोगों पर एक प्रतिनिधि के आधार पर होगी। जिन प्रांतों की जनसंख्या असाधारण रूप से कम है वहां भी तीन प्रतिनिधियों से कम नहीं चुने जाएंगे।

केन्द्रीय लोक सरकार के अधीन प्रत्येक म्युनिसिपैलिटी से और प्रांतीय सरकार के अधीन प्रत्येक औद्योगिक म्युनिसिपैलिटी से जिसकी जन-संख्या ५००००० से अधिक है अखिल चीनी जन कांग्रेस के लिए चुने जाने वाले प्रतिनिधियों की संख्या हर १०००० लोगों पर एक प्रतिनिधि के आधार पर होगी।

धारा २१.

समस्त देश की अल्पसंख्यक जातियां अखिल चीनी जन कांग्रेस के लिए कुल मिला कर १५० प्रतिनिधि चुनेंगी।

धारा २२.

सशस्त्र जन सेनाएं अखिल चीनी जन कांग्रेस के लिए ६० प्रतिनिधि चुनेंगी।

धारा २३

प्रवासी चीनी अखिल चीनी जन कांग्रेस के लिए ३० प्रतिनिधि चुनेंगे।

★★★

अध्याय चार

— अल्पसंख्यक जातियों में चुनाव —

धारा २४.

समस्त देश की अल्पसंख्यक जातियों द्वारा अखिल चीनी जन कांग्रेस के लिए चुने जाने वाले १४० प्रतिनिधियों की सीटों का बंटवारा करते समय, केन्द्रीय लोक सरकार प्रत्येक अल्पसंख्यक ग्रुप की जनसंख्या, उसका विभाजन व अन्य ऐसी ही चीज़ों का पूरा पूरा ख्याल रखेगी।

अल्पसंख्यक जातियों के वे प्रतिनिधि, जो अखिल चीनी जन कांग्रेस में पूर्वोक्त धारा द्वारा चुने जाने वाले प्रतिनिधियों के इलावा चुने जाएंगे, इन डेढ़ सौ प्रतिनिधियों में नहीं गिने जाएंगे।

धारा २५

अखिल चीनी जन कांग्रेस के लिए अल्पसंख्यक जातियों के प्रतिनिधियों का चुनाव :- सीधी केन्द्रीय लोक सरकार के अधीन अल्पसंख्यक जातियों की शासन-इकाइयों से प्रतिनिधि, सम्बन्धित इकाइयों द्वारा ही चुने जाएंगे दूसरे क्षेत्रों की अल्पसंख्यक जातियों से प्रतिनिधियों का चुनाव प्रांतीय और म्युनिसिपल स्तर की विभिन्न जन कांग्रेसों द्वारा होगा।

धारा २६.

इस क़ानून के अध्याय दो की विभिन्न धाराओं के अनुसार, हर स्तर की स्थानीय जन कांग्रेसों के लिए प्रतिनिधियों की जो संख्या निर्धारित की गई है, उस में अल्पसंख्यक जातियों के प्रतिनिधि भी शामिल हैं।

धारा २७.

विभिन्न स्तरों की स्थानीय जन कांग्रसों में प्रत्येक अल्पसंख्यक जाति के, जहां भी वह एकत्र है अपने एक या एक से अधिक प्रतिनिधि होंगे।

(१) जहां एक इलाक़े में एकत्र, किसी विशेष अल्पसंख्यक जाति की कुल जनसंख्या उस इलाक़े की कुल जनसंख्या की दस प्रतिशत से अधिक है, वहां अल्पसंख्यक जाति के प्रत्येक प्रतिनिधि के निर्वाचकों की संख्या, इस क़ानून के दूसरे अध्याय में प्रतिनिधियों की संख्या के सिलसिले में दी हुई धाराओं के अनुसार, स्थानीय जन कांग्रेसों के प्रत्येक प्रतिनिधि के निर्वाचकों की संख्या के कमो-बेश बराबर होनी चाहिए।

(२) जहां एक इलाक़े में एकत्र, किसी विशेष अल्पसंख्यक जाति की कुल जनसंख्या उस इलाक़े की कुल जनसंख्या की दस प्रतिशत से कम है वहां अल्पसंख्यक जाति के प्रत्येक प्रतिनिधि के निर्वाचकों की संख्या स्थानीय जन कांग्रेसों के प्रत्येक प्रतिनिधि के निर्वाचकों की संख्या से, उसी हिसाब से, कम हो सकती है, लेकिन सिद्धान्ततः आधे से कम नहीं होगी। जहां जनसंख्या असाधारण रूप से कम है, वहां से भी एक प्रतिनिधि ज़रूर होगा।

(३) उपरोक्त धारा में जिस ज़रूरत को मद्देनज़र रखा गया है, यदि उसे पूरा करने के लिए किसी स्थानीय जन कांग्रेस के प्रतिनिधियों की संख्या इस क़ानून के दूसरे अध्याय की धाराओं में दी हुई संख्या से अधिक हो जाए तो एक स्तर ऊपर की लोक सरकार से उसकी स्वीकृति लेनी आवश्यक है।

धारा २८.

ख़ुदमुख़्त्यार जातीय क्षेत्रों में जन कांग्रेसों के लिए प्रतिनिधियों की संख्या, हर क्षेत्र की शासन-स्थिति और उसकी जनसंख्या के अनुसार निश्चित होगी और एक स्तर ऊपर की लोक सरकार से उसकी स्वीकृति लेनी आवश्यक होगी।

धारा २९.

ख़ुदमुख़्त्यार जातीय क्षेत्रों से विभिन्न स्तरों की जन कांग्रेसों के लिए जो चुनाव होंगे, उनमें उन क्षेत्रों में एकत्र अन्य अल्पसंख्यक जातियों के प्रतिनिधियों के चुनाव के सिलसिले में धारा २७ लागू होगी।

खुदमुख़्यार जातीय क्षेत्रों में और ऐसे इलाक़ों में जहां अल्पसंख्यक जातियां एकत्र हैं यदि 'हान' जाति के लोग एकत्र हैं, तो विभिन्न स्तरों की जन कांग्रेसों के लिए उन के प्रतिनिधियों के चुनाव के सिलसिले में भी धारा २७ उसी तरह लागू होगी।

धारा ३०.

सभी अल्पसंख्यक जातियों की बिखरी हुई टुकड़ियाँ विभिन्न स्तरों की जन कांग्रेसों के प्रतिनिधियों के चुनाव में भाग लेंगी। प्रतिनिधियों की संख्या जनसंख्या के अनुपात से होगी। अल्पसंख्यक जाति के प्रत्येक प्रतिनिधि के निर्वाचकों की संख्या स्थानीय जन कांग्रेस के प्रत्येक अन्य प्रतिनिधि के निर्वाचकों की संख्या से कम हो सकती है, लेकिन आम तौर पर आधे से कम नहीं होगी।

खुदमुख़्यार जातीय क्षेत्रों से और ऐसे क्षेत्रों से जहां अल्पसंख्यक जातियां एकत्र हैं, विभिन्न स्तरों की जन कांग्रेसों के लिए जो चुनाव होंगे, उनमें उन क्षेत्रों में बिखरी हुई 'हान' जाति के प्रतिनिधियों के चुनाव के सिलसिले में भी उपरोक्त शर्तें लागू होंगी।

धारा ३१.

खुदमुख़्यार जातीय क्षेत्रों में श्याङ, क़स्बों, म्युनिसिपल जिलों और म्युनिसिपैलिटियों (जिनके अधीन कोई ज़िला न हो) के स्तरों की जन कांग्रेसों के लिए प्रतिनिधि सीधे निर्वाचकों द्वारा चुने जाएंगे, जबकि अन्य स्तरों की जन कांग्रेसों के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव उनसे एक स्तर नीचे की जन कांग्रेस द्वारा होगा।

उन इलाक़ों में भी जहां अल्पसंख्यक जातियां एकत्र हैं, विभिन्न स्तरों की जन कांग्रेसों के लिए अल्पसंख्यक जातियों के प्रतिनिधियों के चुनाव पर उपरोक्त शर्तें लागू होंगी।

धारा ३२.

जिन इलाक़ों में अल्पसंख्यक जातियां एकत्र हैं, वहां श्याङ, क़स्बों, म्युनिसिपल ज़िलों और म्युनिसिपैलिटियों (जिनके अधीन कोई ज़िला नहीं है) की जन कांग्रेसों के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव, अल्पसंख्यक जातियों के निर्वाचक, जातियों के आपसी सम्बन्ध और रहन-सहन के हालात के अनुसार, अलग अलग या मिल कर करेंगे।

ख़ुदमुख़्त्यार जातीय क्षेत्रों में और ऐसे इलाक़ों में जहां अल्पसंख्यक जातियां एकत्र हैं, एकत्र या बिखरे हुए 'हान' लोगों में से विभिन्न स्तरों की जन कांग्रेसों के लिए प्रतिनिधियों का जो चुनाव होगा, उस पर भी उपरोक्त शर्तें लागू होंगी।

धारा ३३.

अल्पसंख्यक जातियों में चुनाव सम्बन्धी अन्य मामले इस क़ानून की सम्बन्धित धाराओं के अनुसार निपटाए जाएंगे।

धारा ३४.

जिन अल्पसंख्यक जातियों में सार्वलौकिक मताधिकार के हालात अभी मौजूद नहीं हैं, उनके लिए ऊंचे स्तर की लोक सरकारें चुनाव के तरीक़े अलग निर्धारित करेंगी।

★★★

अध्याय पांच

— चुनाव कमेटियाँ —

धारा ३५.

केन्द्रीय और सभी स्तरों की स्थानीय चुनाव कमेटियां केन्द्रीय लोक सरकार और सभी स्तरों की स्थानीय लोक सरकारों के अधीन नियुक्त की जाएंगी। केन्द्रीय और सभी स्तरों की स्थानीय चुनाव कमेटियां अखिल चीनी जन कांग्रेस और प्रत्येक स्तर की जन कांग्रेसों के चुनाव के सिलसिले की तमाम बातों का निपटारा करेंगी।

केन्द्रीय चुनाव कमेटी की नियुक्ति केन्द्रीय लोक सरकार की कौंसिल करेगी। सभी स्तरों की स्थानीय चुनाव कमेटियों की नियुक्ति उनसे एक स्तर ऊपर की लोक सरकारें करेंगी।

धारा ३६.

केन्द्रीय चुनाव कमेटी और सभी स्तरों की स्थानीय चुनाव कमेटियों की रचना :—

(१) केन्द्रीय चुनाव कमेटी : एक अध्यक्ष और २८ सदस्य।

(२) प्रांतीय (या म्युनिसिपल) चुनाव कमेटियां : एक अध्यक्ष और ८ से २० तक सदस्य।

(३) प्रांतों के अधीन म्युनिसिपैलिटियों, म्युनिसिपैलिटियों के अधीन ज़िलों और काउंटियों के स्तर की चुनाव कमेटियां : एक अध्यक्ष और ६ से १२ तक सदस्य।

(४) श्याङ (या क़स्बे) के स्तर की चुनाव कमेटियां : एक अध्यक्ष और ४ से ८ तक सदस्य।

केन्द्रीय चुनाव कमेटी और सभी स्तरों की स्थानीय चुनाव कमेटियों

के लिए कार्यकर्त्ताओं की नियुक्ति विभिन्न सम्बन्धित चुनाव कमेटियों द्वारा होगी।

धारा ३७.

केन्द्रीय चुनाव कमेटी के कार्य :—

(१) देश भर में इस क़ानून को दृढ़ता से लागू करने के काम का निर्देशन और निरीक्षण करना तथा इस क़ानून की धाराओं के अनुसार हिदायतें और फ़ैसले जारी करना।

(२) सभी स्तरों की स्थानीय चुनाव कमेटियों के काम का निर्देशन करना।

(३) निर्वाचकों की रजिस्ट्री, निर्वाचकों के सर्टिफ़िकेटों, सभी स्तरों की जन कांग्रेसों के प्रतिनिधियों के लिए चुनाव-सर्टिफ़िकेटों और सभी स्तरों की चुनाव-कमेटियों की सरकारी मुहरों का स्वरूप तय करना।

(४) चुनाव-के-दौरान में, ग़ैर क़ानूनी हरकतें करने वालों के सम्बन्ध की सूचना और उनके ख़िलाफ़ लगाए गए अभियोगों पर विचार करना और आख़िरी कार्यवाही का फ़ैसला करना।

(५) अखिल चीनी जन कांग्रेस के लिए चुने गए प्रतिनिधियों को रजिस्टर करना, उन की सूची प्रकाशित करना और उन्हें चुनाव के सर्टिफ़िकेट प्रदान करना।

धारा ३८.

प्रांत, काउंटी और म्युनिसिपल (ज़िला सहित) स्तरों की चुनाव कमेटियों के कार्य :—

(१) अपने अधिकार के अन्तर्गत इलाक़ों में इस क़ानून को दृढ़ता से लागू करवाना।

(२) निचले स्तरों की चुनाव कमेटियों के काम का निर्देशन करना।

(३) अपने अधिकार के अन्तर्गत इलाक़ों में, चुनाव के दौरान में, ग़ैर-क़ानूनी हरकतें करने वालों के सम्बन्ध की सूचना और उनके ख़िलाफ़ लगाए गए अभियोगों पर विचार करना और कार्यवाही का फ़ैसला करना।

(४) समान स्तरों की जन कांग्रेसों के लिए चुने गए प्रतिनिधियों को

रजिस्टर करना, उनकी सूची प्रकाशित करना और उन्हें चुनाव के सर्टिफ़िकेट प्रदान करना।

धारा ३६.

श्याङ. क़स्बों, म्युनिसिपल ज़िलों और म्युनिसिपैलिटियों (ज़िला रहित) के स्तरों की चुनाव कमेटियों के कार्य :—

(१) अपने अधिकार के अन्तर्गत इलाक़ों में इस कानून को दृढ़ता से लागू करवाना।

(२) निर्वाचकों को रजिस्टर करना, निर्वाचकों की सूची का निरीक्षण करना और उसे प्रकाशित करना।

(३) अपने अधिकार के अन्तर्गत इलाक़ों में निर्वाचकों की सूची के खिलाफ़ उठाए गए एतराज़ों पर ग़ौर करना और कार्यवाही का फ़ैसला करना।

(४) उम्मीदवारों को रजिस्टर करना और उनकी सूची प्रकाशित करना।

(५) निर्वाचकों की रिहाइश के अनुसार निर्वाचन-ज़िले निश्चित करना।

(६) चुनाव का तरीक़ा और तिथि निश्चित करना और चुनाव-सभाओं का आयोजन और संचालन करना।

(७) निर्वाचकों को सर्टिफ़िकेट प्रदान करना।

(८) वोट गिनना, कौन चुना गया है यह निश्चित करना, चुने हुए प्रतिनिधियों की सूची प्रकाशित करना और उन्हें चुनाव-सर्टिफ़िकेट प्रदान करना।

धारा ४०.

चुनाव के बाद सभी स्तरों की चुनाव कमेटियां समान स्तरों की लोक सरकारों को चुनाव सम्बन्धी तमाम काग़ज़ात दे देंगी और लोक सरकारों और ऊंचे स्तरों की चुनाव कमेटियों को चुनाव पर सिंहावलोकन करते हुए जल्द से जल्द रिपोर्ट पेश करेंगी।

धारा ४१.

चुनाव कमेटियों का काम ख़त्म हो जाने के बाद उन्हें भंग कर दिया जाएगा।

अध्याय छः

— निर्वाचकों की रजिस्ट्री —

धारा ४२.

श्याल, क़स्बों, म्युनिसिपल ज़िलों और ज़िले रहित म्युनिसिपैलिटियों की चुनाव कमेटियाँ निर्वाचकों को रजिस्टर करेंगी और चुनाव के पहले उन्हें निर्वाचकों के सर्टिफ़िकेट प्रदान करेंगी।

धारा ४३.

प्रत्येक निर्वाचक की रजिस्ट्री एक ही बार होगी।

धारा ४४.

चुनाव के ३० दिन पहले निर्वाचकों की सूची प्रकाशित की जाएगी।

धारा ४५.

प्रकाशित सूची पर एतराज़ करने वाले सम्बन्धित चुनाव कमेटी के पास अपील कर सकते हैं। चुनाव कमेटी अपना फ़ैसला ५ दिन के अन्दर सुनाएगी। चुनाव कमेटी के किसी ऐसे फ़ैसले के ख़िलाफ़ लोक ट्रिब्युनल या लोक न्यायालय में अपील की जा सकती है, उसका फ़ैसला अन्तिम होगा।

धारा ४६.

जो निर्वाचक चुनाव के दौरान में अपना निवास-स्थान बदलेगा, उसे उसके पुराने निवास-स्थान की चुनाव कमेटी से तबादला-सर्टिफ़िकेट लेने के बाद, नए निवास-स्थान के ज़िले की सूची में शामिल कर लिया जाएगा।

★★★

अध्याय सात

— चुनाव के लिए उम्मीदवारों की नामज़दगी —

धारा ४७.

अखिल चीनी जन कांग्रेस और सभी स्तरों की स्थानीय जन कांग्रेसों के प्रतिनिधियों के चुनाव के लिए उम्मीदवारों की नामज़दगी चुनाव क्षेत्रों और चुनाव-इकाइयों द्वारा होगी।

चीन की कम्युनिस्ट पार्टी, विभिन्न जनवादी पार्टियां, विभिन्न जन संगठन और प्रतिनिधियों के वे निर्वाचक जो उपरोक्त किसी भी पार्टी या संगठन में शामिल नहीं हैं, सभी, चुनाव-क्षेत्रों और चुनाव-इकाइयों के आधार पर, अलग-अलग या एक साथ मिल कर प्रतिनिधियों के चुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची पेश कर सकते हैं।

धारा ४८.

एक ही स्तर की अखिल चीनी जन कांग्रेस और सभी स्तरों की स्थानीय जन कांग्रेसों के प्रतिनिधियों के चुनाव के लिए उम्मीदवार एक ही चुनाव-इकाई या चुनाव क्षेत्र से चुने जा सकेंगे।

धारा ४९.

ऊंचे स्तरों की जन कांग्रेसों के प्रतिनिधियों का चुनाव करते समय, विभिन्न स्तरों की स्थानीय जन कांग्रेसों को उम्मीदवारों की संख्या अपनी-अपनी जन कांग्रेसों के प्रतिनिधियों तक ही सीमित नहीं रखनी चाहिए।

धारा ५०.

प्रतिनिधियों के चुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची पहले ही प्रकाशितकर दी जाएगी।

धारा ५१.

निर्वाचक, सूचियों के अनुसार या अन्य किन्हीं भी निर्वाचकों को, जिन्हें वे चाहें, वोट दे सकते हैं।

अध्याय आठ

— चुनाव का तरीक़ा —

धारा ५२.

शहर, क़स्बों, म्युनिसिपल ज़िलों और ज़िले रहित म्युनिसिपैलिटियों में जन कांग्रेसों के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव एक स्तर ऊपर की लोक सरकार के फ़ैसले के अनुसार निश्चित तिथि पर होगा।

धारा ५३.

शहर, क़स्बों, म्युनिसिपल ज़िलों और ज़िले रहित म्युनिसिपैलिटियों में जन कांग्रेसों के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव निर्वाचकों की रिहाइश के मुताबिक़ निर्धारित विभिन्न चुनाव-क्षेत्रों में अलग-अलग बुलाई गई चुनाव-सभाओं में होगा।

धारा ५४.

शहर, क़स्बों, म्युनिसिपल ज़िलों और ज़िले रहित म्युनिसिपैलिटियों में चुनाव-सभाएं सम्बन्धित चुनाव कमेटी के प्रतिनिधि की मौजूदगी में ही होंगी। चुनाव-सभा का सभापतित्व तीन व्यक्ति करेंगे: चुनाव कमेटी का प्रतिनिधि अपनी पद-स्थिति के कारण सभापति-मंडल का अध्यक्ष होगा; अन्य दो सदस्यों का चुनाव सभा में ही होगा।

सभी स्तरों की स्थानीय जन कांग्रेसें एक स्तर ऊपर की जन कांग्रेस के लिए जब प्रतिनिधियों का चुनाव करेंगी, उस समय उनके अपने सभापति-मंडल ही सभापतित्व करेंगे।

धारा ५५.

शहर, क़स्बों, म्युनिसिपल ज़िलों और ज़िले रहित म्युनिसिपैलिटियों में जन कांग्रेसों के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव और काउंटी की जन कांग्रेस

के लिए श्याङ या क़स्बों के प्रतिनिधियों का चुनाव हाथ खड़े करवाके या गुप्त मतदान से किया जा सकता है। काउंटी से ऊपर के स्तर की जन कांग्रेसों का चुनाव गुप्त मतदान के ज़रिए होगा।

जो निर्वाचक निरक्षरता या कमज़ोरी के कारण लिख नहीं सकते वे अन्य निर्वाचकों से अपने वोट रेकार्ड करवा सकते हैं।

धारा ५६.

चुनाव-सभाओं या सभी स्तरों की जन कांग्रेसों में आधे से अधिक निर्वाचकों या प्रतिनिधियों की उपस्थिति में ही चुनाव हो सकते हैं। आवश्यक कोरम से यदि निर्वाचकों या प्रतिनिधियों की संख्या कम होगी, तो चुनाव कमेटी या सभापति-मंडल चुनाव के लिए एक और सभा की तिथि निश्चित करेगा। दूसरी सभा में, निर्वाचकों या प्रतिनिधियों की संख्या कुल संख्या की आधी से अधिक न होते हुए भी, चुनाव किए जाएंगे।

धारा ५७.

जब मतदान हो चुकेगा तो सभा द्वारा निर्वाचित निरीक्षक मतदाताओं और मतों की गणना करेंगे और एक रिपोर्ट तैयार करेंगे जिस पर सभा के अध्यक्ष के हस्ताक्षर होंगे।

धारा ५८.

अगर मतों की संख्या मतदाताओं की संख्या से अधिक होगी, तो चुनाव ख़ारिज कर दिया जाएगा, लेकिन मतदाताओं की संख्या से मतों की संख्या के कम होने पर चुनाव जायज़ समझा जाएगा।

मत-पत्र में यदि निर्धारित संख्या से अधिक उम्मीदवारों के लिए मत दिए गए होंगे तो वह ख़ारिज कर दिया जाएगा, लेकिन निर्धारित संख्या से कम उम्मीदवारों के लिए मत दिए जाने पर वह जायज़ समझा जाएगा।

धारा ५९.

किसी भी स्तर की जन कांग्रेस के प्रतिनिधियों के चुनाव में यदि

कोई उम्मीदवार उपस्थित निर्वाचकों या प्रतिनिधियों के आधे से अधिक मत हासिल करता है तो उसे निर्वाचित मान लिया जाएगा। यदि उम्मीदवार को उपस्थित निर्वाचकों या प्रतिनिधियों के आधे से कम मत हासिल होते हैं, तो चुनाव दोबारा होगा

धारा ६०.

चुनाव के नतीजे इस क़ानून के मुताबिक कमेटी या सभापति-मंडल द्वारा जायज़ या नाजायज़ घोषित कर दिए जाएंगे और प्रकाशित कर दिए जाएंगे।

धारा ६१.

किसी भी प्रतिनिधि को जिसके अधिकांश निर्वाचकों या चुनाव-इकाई की ऐसी मर्ज़ी है, उसका मियाद पूरी होने से पहले ही, क़ानूनी तरीक़े से वापस बुलाया या बदला जा सकता है।

★ ★ ★

अध्याय नौ

— चुनावों को क्षति पहुंचाने वालों को सज़ा —

धारा ६२.

चुनाव को क्षति पहुंचाने या निर्वाचकों को स्वतंत्रता-पूर्वक अपने मतदान या चुने जाने के अधिकार से वंचित करने के लिए हिंसा, धमकी, धोखा या रिश्वत के इस्तेमाल की हर कोशिश को ग़ैर-क़ानूनी समझा जाएगा और अपराधी को लोक न्यायालय या लोक-ट्रिब्युनल द्वारा अधिक से अधिक दो साल क़ैद की सज़ा दी जा सकेगी।

धारा ६३.

किसी भी स्तर की लोक सरकार या चुनाव कमेटी का कोई अधिकारी अगर चुनाव के जाली दस्तावेज़ तैयार करते हुए, वोटों की संख्या में उलट-फेर करते हुए, धोखा देते हुए या असलियत को छिपाते हुए पकड़ा गया तो उसे लोक न्यायालय या लोक ट्रिब्युनल द्वारा अधिक से अधिक ३ साल क़ैद की सज़ा दी जा सकेगी।

धारा ६४.

चुनाव के दौरान में ग़ैर-क़ानूनी कार्यवाही करने वालों के ख़िलाफ़ चुनाव कमेटियों या लोक सरकार के न्यायालयों में सूचना देने और अभियोग लगाने का अधिकार हरेक को है। कोई संस्था या व्यक्ति इस अधिकार में दख़ल नहीं दे सकता और न बदले में कोई कार्यवाही कर सकता है। ऐसा करने वालों को लोक न्यायालय या लोक ट्रिब्युनल द्वारा तीन साल क़ैद की सज़ा दी जा सकेगी।

★ ★ ★

अध्याय दस

— परिशिष्ट —

धारा ६५.

प्रांतीय (या म्युनिसिपल) लोक सरकार चुनाव को कार्यान्वित करने के लिए इस कानून के अनुकूल विस्तृत नियम बना सकती है। उसे इन नियमों को स्वीकृति के लिए केन्द्रीय लोक सरकार के सामने पेश करना होगा।

धारा ६६.

केन्द्रीय लोक सरकार की कौंसिल द्वारा स्वीकृत हो जाने पर यह क़ानून लागू कर दिया जाएगा। इस कानून की व्याख्या का अधिकार केन्द्रीय चुनाव-कमेटी को प्राप्त है।

★ ★ ★

चुनाव क़ानून की व्याख्या

सरकारी शासन कौंसिल के उप प्रधान-मंत्री, तेङ श्याओ-पिङ ने, ११ फ़रवरी १९५३ को, चुनाव क़ानून के स्वीकार किए जाने से पहले, केन्द्रीय लोक सरकार की कौंसिल के सम्मुख उस की निम्नलिखित व्याख्या पेश की

कॉमरेड चेयरमैन, कौंसिल के सदस्यो और साथियो,

केन्द्रीय लोक सरकार की कौंसिल ने १३ जनवरी १९५३ को अपने २०वें अधिवेशन में "अखिल चीनी जन कांग्रेस और सभी स्तरों की स्थानीय जन कांग्रेसों के अधिवेशन बुलाने के लिए एक प्रस्ताव" मंज़ूर किया। उसने फ़ैसला किया कि "श्याङ, (अनेक गांवों का एक शासन-क्षेत्र) काउंटी, प्रांत और म्युनिसिपैलिटी के स्तरों पर, इस साल, सार्वलौकिक-मताधिकार द्वारा चुनी हुई जन कांग्रेसों के अधिवेशन बुलाए जाएंगे और इस आधार पर, उन्हीं के साथ, अखिल चीनी जन कांग्रेस का अधिवेशन बुलाया जाएगा"। उसी समय, उस ने चुनाव-क़ानून का मसविदा तैयार करने के लिए एक मसविदा-कमेटी नियुक्त करने का फ़ैसला किया। उपरोक्त प्रस्ताव के अनुसार, इस कमेटी ने अपनी नियुक्ति के फ़ौरन बाद ही काम करना शुरू कर दिया। हमने, जन राजनैतिक सलाहकार सम्मेलन के 'सम्मिलित प्रोग्राम' की सार्वलौकिक मताधिकार से सम्बन्धित धाराओं को अपने काम का आधार बनाया, पिछले तीन वर्षों से अधिक अर्से में चीन की लोक जनवादी डिक्टेटरशिप की वास्तविक परिस्थिति का अध्ययन किया, सोवियत चुनाव के तजुर्बों का फ़ायदा उठाया, विभिन्न क्षेत्रों से सलाह ली और काफ़ी बहस और तब्दीलियों के बाद " अखिल

चीनी जन कांग्रेस और सभी स्तरों की स्थानीय जन कांग्रेसों के लिए चीनी लोक गणतंत्र के चुनाव क़ानून" का मसविदा तैयार किया। चुनाव क़ानून की मसविदा कमेटी ने अब मुझे इस क़ानून की व्याख्या करने और केन्द्रीय लोक सरकार की कौंसिल के सम्मुख इसे निरीक्षण और स्वीकृति के लिए पेश करने का काम सौंपा है।

(१)

इस चुनाव क़ानून के सारे मसविदे में व्यापक रूप से जो स्पिरिट काम कर रही है वह यह कि चीन में इस समय जो ख़ास हालात हैं उनके आधार पर एक वास्तव में जनवादी चुनाव-व्यवस्था बनाई जाए।

चेयरमैन माओ त्से-तुङ ने १९४० में लिखी अपनी पुस्तक "नई लोक शाही" में बताया था: "चीन अब जन प्रतिनिधियों की कांग्रेसों की एक व्यवस्था ग्रहण कर सकता है। जन प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय कांग्रेस, जन प्रतिनिधियों की काउंटी कांग्रेस और जन प्रतिनिधियों की ज़िला कांग्रेस से लेकर जन प्रतिनिधियों की क़स्बा कांग्रेस तक हो सकती हैं, और विभिन्न स्तरों की इन प्रतिनिधि कांग्रेसों द्वारा सरकार का चुनाव हो सकता है। लेकिन, बिना लिङ्ग, धर्म, जायदाद और शिक्षा के भेदभाव के, एक वास्तव में सार्वलौकिक और समान मताधिकार की व्यवस्था को प्रयोग में लाना होगा, ताकि चुनी हुई सरकार राज्य के प्रत्येक क्रांतिकारी वर्ग के दर्जे का प्रतिनिधित्व

कर सके, जनता की इच्छाओं को प्रकट कर सके, क्रांतिकारी संघर्षों का निर्देशन कर सके, और नई लोक शाही की आत्मा में खप सके"। अपने देश की चुनाव व्यवस्था को बनाते समय हमने इसी बुनियादी सिद्धान्त का पालन किया है।

हमारे चुनाव के अधिकार का सार्वलौकिक स्वरूप प्रस्तावित चुनाव क़ानून की उस धारा में प्रकट होता है जिसमें घोषणा की गई है कि चीनी लोक गणतंत्र के हर नागरिक को, जिस की आयु १८ वर्ष की हो चुकी है, बिना किसी जाति, नस्ल, लिङ्ग, पेशा, सामाजिक-उत्पत्ति, धार्मिक विश्वास, शिक्षा, जायदाद और रिहाइश की मियाद के भेदभाव के, चुनने और चुने जाने का अधिकार होगा। सार्वलौकिक चुनाव की गारन्टी के लिए उस में एक स्पष्ट धारा और जोड़ दी गई है जिसमें स्त्रियों के चुनने और चुने जाने के अधिकार का विशेष रूप से उल्लेख है। विभिन्न जातियों के लोगों, सशस्त्र जन सेनाओं और प्रवासी चीनियों के लिए भी स्पष्ट और आवश्यक धाराएं बनाई गई हैं। हमारे सार्वलौकिक चुनाव की व्यवस्था में यह स्वाभाविक है कि जनता के कुछ अङ्गों के चुनाव-अधिकार पर पाबंदी हो। इस लिए, मसविदे में कहा गया है कि ऐसे ज़मींदारों को जिनका क़ानूनी दर्जा अभी तक बदला नहीं गया है, क्रांति-विरोधियों और अन्य ऐसे लोगों को जिनके राजनैतिक अधिकार क़ानून के अनुसार छीन लिए गए हैं और पागल दिमाग़ के लोगों को चुनने और चुने जाने का अधिकार नहीं होगा। बहर हाल, ऐसे तत्व जिन्हें चुनने और चुने जाने का अधिकार नहीं है, कुल आबादी का एक बहुत ही छोटा हिस्सा हैं। इसका मतलब है कि हमारे राज्य में वोटरों की संख्या देश की कुल आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा होगी। हमारी चुनाव व्यवस्था इस प्रकार, सही मायनों में, एक सार्वलौकिक मताधिकार की व्यवस्था है। ऐसे सार्वलौकिक मताधिकार के आधार पर सभी स्तरों की जो जन कांग्रेसें बनेंगी वे, निस्संदेह, ज़्यादा से ज़्यादा जनता का प्रतिनिधित्व करेंगी। मसविदे में कहा गया है कि सभी नागरिकों को जिनकी आयु १८ वर्ष की हो चुकी है सभी स्तरों की जन कांग्रेसों के लिए प्रतिनिधि चुने जाने का अधिकार होगा। यह इस लिए

कहा गया है कि वे नौजवान, प्रतिभाशाली व्यक्ति जो क्रांतिकारी जोश से भरपूर हैं, आलोचना और आत्मालोचना में निर्भीक हैं, और निडरता के साथ नुकसानदेह लोगों और उनकी कार्यवाहियों का पर्दा फ़ाश करते हैं, सभी स्तरों की, खास कर लोक सत्ता के बुनियादी स्तरों की, जन कांग्रेसों के लिए चुने जा सकें। हर चीज इसके हक में है और खिलाफ़ कुछ भी नहीं है। जहां तक जनता के एक हिस्से के चुनाव अधिकारों पर पाबंदी का सवाल है, जैसे कि उन ज़मींदारों पर जिनका कानूनी दर्जा अभी बदला नहीं गया है पाबंदी है, यह कहने की जरूरत नहीं कि मौजूदा ऐतिहासिक हालात में यह एक अनिवार्य समायिक कार्यवाही है। निकट भविष्य में जब हालात बदल जाएंगे यह पाबंदी अनावश्यक हो जाएगी।

हमारे चुनाव-अधिकारों की समानता, प्रस्तावित चुनाव-कानून की उस धारा से स्पष्ट होती है जिसमें कहा गया है कि प्रत्येक पुरुष और स्त्री चुनाव में बराबरी की बुनियाद पर हिस्सा लेगी और प्रत्येक वोटर को एक ही वोट का अधिकार होगा। दूसरे शब्दों में, जो नागरिक १८ वर्ष की उम्र के हो चुके हैं, उनके चुनाव-अधिकारों पर कोई पाबंदी नहीं है और उनके एकसे जनवादी अधिकार पूरी तरह सुरक्षित हैं। प्रस्तावित चुनाव-कानून में यह भी बताया है कि अखिल चीनी जन कांग्रेस और सभी स्तरों की स्थानीय जन कांग्रेसों के प्रतिनिधियों की संख्या क्या हो, और यह भी व्यवस्था है कि चुनाव जनसंख्या के अनुपात पर आधारित हो। साथ ही यह मसविदा विभिन्न क्षेत्रों और चुनाव-इकाइयों की ओर समुचित ध्यान देता है और इस लिए देहाती-ज़िलों और शहरों के बीच और 'हान' जाति के लोगों और अल्पसंख्यक जातियों के बीच एक विभिन्न अनुपात निर्धारित करता है। चुनाव-अनुपातों का यह भेद, कुछ मायनों में, पूर्ण समानता न होने का द्योतक है। फिर भी, ऐसी धाराएं ही चीन के वास्तविक जीवन को प्रकट कर सकती हैं ऐसी धाराओं से ही समूचे चीन की सभी जातियां और वर्ग, सभी स्तरों की जन कांग्रेसों में, अपनी अपनी स्थिति के अनुसार, प्रतिनिधित्व प्राप्त कर सकते हैं। परिणामस्वरूप,

ऐसी धाराएं केवल न्यायोचित ही नहीं हैं बल्कि और अधिक समान और अंत में पूर्णतया समान चुनावों की ओर बढ़ते हुए, आज के इस दौर में, नितन्त आवश्यक भी हैं।

प्रस्तावित चुनाव-क़ानून में कहा गया है कि चुनाव का तमाम ख़र्च राष्ट्रीय ख़ज़ाने की ओर से होगा। इस धारा का महत्व इसमें है कि यह, मतदाताओं और उम्मीदवारों के स्वतंत्र चुनाव के हक़ की अमली शक्ल में हिफ़ाज़त करती है।

उम्मीदवारों की नामज़दगी और प्रतिनिधियों के चुनाव के बारे में, प्रस्तावित चुनाव-क़ानून में व्यवस्था है कि मतदाताओं को ऐसे लोगों को जिन्हें वे ठीक और आवश्यक समझते हों, चुनने की पूरी स्वतंत्रता होगी और उन्हें अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को क़ानूनी तरीक़े से वापस बुलाने और बदलने का अधिकार होगा। मतदाताओं की रजिस्ट्री के सम्बन्ध में एतराज़ों को पेश करने के लिए विशेष तरीक़ा निश्चित किया गया है और चुनाव को क्षति पहुंचाने वाली कार्यवाहियों के लिए सख़्त सज़ा तजवीज़ की गई है। ये सब बातें मतदाताओं को अपने चुनाव अधिकारों को स्वतंत्रता से प्रयोग करने की पूरी गारण्टी देती हैं।

प्रस्तावित चुनाव-क़ानून में श्याङ, क़स्बों, म्युनिसिपल ज़िलों और ज़िले रहित म्युनिसिपैलिटियों जैसे लोक-सत्ता के बुनियादी स्तरों के लिए प्रत्यक्ष चुनावों की व्यवस्था है, तथा काउंटी और उस से ऊपर के स्तरों के लिए अप्रत्यक्ष चुनावों की व्यवस्था है। काउंटी और उस से ऊपर के स्तरों पर हमने गुप्त मतदान की व्यवस्था रखी है जबकि लोक-सत्ता के बुनियादी स्तरों पर आम तौर पर हाथ खड़े करके वोट देने का तरीक़ा अपनाया जाएगा। दूसरे शब्दों में, इस समय, तक हमारे चुनाव का तरीक़ा पूर्ण रूप से प्रत्यक्ष नहीं है और वोट देने का तरीक़ा पूर्ण रूप से गुप्त नहीं है। यह फ़ैसला चीन की मौजूदा सामाजिक परिस्थिति और अन्य व्यवहारिक बातों

को ध्यान में रखते हुए किया गया है, जैसे कि, अभी बहुत से लोग हैं जिन्हें चुनाव का तजुर्बा नहीं है और बहुत से अनपढ़ लोग हैं। यदि हम इन ठोस हालात को नज़र-अंदाज़ कर, बिना सोचे-समझे, इसी समय एक ऐसा चुनाव क़ानून बनादें जो देखने में मुकम्मिल हो लेकिन जिसे व्यवहार में न लाया जा सके, तो नतीजे संतोषजनक नहीं होंगे, साथ ही, चुनाव की कठिनाइयां बढ जाएंगी और व्यवहार में बहुत से नागरिक अपने चुनाव अधिकारों से वंचित रह जाएंगे।

इस बात पर ज़ोर देना आवश्यक है कि हमारे चुनाव क़ानून का निचोड़ व्यवहारिक जनवाद है। देश के विभिन्न इलाक़ों में हालात जुदा जुदा हैं; पहली बार हम ऐसे राष्ट्र-व्यापी चुनाव कर रहे हैं; और जनता तथा नेतृगण दोनों को तजुर्बा कम है। इन्हीं कारणों से कुछ मौजूदा धाराओं को आम बातों तक ही सीमित रखा गया है। चुनाव से सम्बन्धित कई विशेष समस्याओं को, निपटाने के लिए, प्रांतीय और म्युनिसिपल लोक सरकारों पर छोड़ दिया गया है, ताकि चुनाव को अमल में लाने के लिए जब वे अपने विस्तृत नियम बनाएं तो सभी प्रकार के ख़ास हालात का पूरा पूरा ध्यान रख सकें। यह कहने की ज़रूरत नहीं कि मौजूदा हालात में जनता के जनवादी अधिकारों की रक्षा के लिए यही व्यवहारिक और मुमकिन तरीक़ा है।

यह सच है कि हमारी चुनाव-व्यवस्था इतनी मुकम्मिल नहीं, जितनी कि सोवियत-संघ की मौजूदा चुनाव-व्यवस्था है। सभी जानते हैं कि सोवियत चुनाव-व्यवस्था, हर दौर में, हमेशा, संसार की सबसे अधिक जनवादी चुनाव-व्यवस्था रही है। १९३६ में स्तालिन-विधान के लागू हो जाने के बाद से तो ख़ास तौर पर ऐसा है। उस विधान के अधीन सोवियत-संघ में सार्वलौकिक, समान, सीधी और गुप्त मतदान की व्यवस्था पूर्ण रूप से लागू कर दी गई है। वह संसार की सब से अच्छी चुनाव-व्यवस्था है। भविष्य में, जब हम राजनैतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से उन्नति करेंगे तो

निश्चय ही सोवियत चुनाव-व्यवस्था जैसी एक और भी मुकम्मिल चुनाव-व्यवस्था अपनाएंगे।

फिर भी, जहां तक इस चुनाव-व्यवस्था का सम्बन्ध है, जो हमने अभी तैयार की है, किसी भी पूंजीवादी देश की कोई भी चुनाव-व्यवस्था इसका मुक़ाबला नहीं कर सकती। इस देश में चुनाव तो पेयाङ फ़ौजी सरदारों और च्यांग-काई-शेक के ज़माने में भी होते रहे हैं। लेकिन, दोनों हालतों में, विषय और रूप दोनों की दृष्टि से, वे सड़ियल थे। तफ़सील में जाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हम सब इस मामले से ख़ूब परिचित हैं।

इस देश के कुछ लोग यूरोपीय और अमरीकी तजुर्बा चुनाव व्यवस्थाओं पर मोहित थे। उनमें से अधिकतर ने अब यूरोपीय और अमरीकी पूंजीपति वर्ग के नकली प्रजातंत्र की धोखे-धड़ी को पहचान लिया है। लेकिन, हो सकता है कि कुछ लोग अभी तक भी ऐसे हों जो उसे नहीं पहचान सके हों।

वास्तविक हालात क्या हैं? मिसाल के लिए अमरीका को ही लीजिए। अमरीका के सरकारी आंकड़ों के अनुसार, अमरीका में निर्वाचकों के लिए ५० से अधिक प्रकार की योग्यताएं हैं: जायदाद, रिहाइश, शिक्षा, वोट देने की बड़ी उम्र, धार्मिक विश्वास, "अच्छी साख", इत्यादि।

अमरीका में "चुनाव टैक्स" या "पोल टैक्स" ग़रीब मेहनतकश लोगों और हब्शियों को वोट के अधिकार से वञ्चित करता है। १९४२ के आंकड़ों के अनुसार, अमरीका में २१ साल से ऊपर आयु के हब्शियों में से केवल १० प्रतिशत वोटर थे, जिन में से केवल एक प्रतिशत ने वोट डाले।

विभिन्न प्रकार के प्रतिबंधों के कारण, १९४८ में, अमरीका के राष्ट्रपति के चुनाव में, वोट देने की योग्यता रखने वाले दो करोड़ लोगों को अनुचित रूप से वोट के अधिकार से वञ्चित कर दिया गया, और पिछले राष्ट्रपति के चुनाव में एसोशियेटिड प्रेस के अनुमान के अनुसार, ढाई करोड़ लोग,

यानि मोटे तौर पर वोट देने योग्य आयु के कुल लोगों का एक चौथाई हिस्सा, वोट के अधिकार से वञ्चित रह गया।

यह तो सिर्फ़ वोट के अधिकार के सम्बन्ध में है। जहां तक चुने जाने के अधिकार का सवाल है, वह अमरीका में पूरी तरह कुछ मुट्ठी भर अरबपतियों के नियन्त्रण में है। और यह न केवल अमरीका की, बल्कि यदि गहराई से देखा जाए तो सभी पूंजीवादी देशों की हक़ीकत है। कई पूंजीवादी देशों में स्त्रियों और सरगर्म किस्म के फ़ौजियों को आंशिक रूप से या पूर्णतया वोट के अधिकार से वञ्चित रखा जाता है; जातीय और नस्ली पाबन्दियां भी थोपी जाती हैं, कई देशों में, अपर-हाउस की सदस्यता आज भी नियुक्ति के द्वारा या वसीयत के रूप में मिलती है।

पूंजीवादी देशों में, उम्मीदवारों को अक्सर एक बड़ी रक़म जमा करानी पड़ती है और चुनाव का ख़र्चा उठाना पड़ता है। परिणाम-स्वरूप, उम्मीदवारों की नामज़दगी के मामले में ग़रीब लोगों का अमीरों के साथ कोई मुक़ाबला नहीं हो सकता।

इसके अलावा, पूंजीपति वर्ग चुनावों पर अपना एकाधिपत्य स्थापित करने के लिए रिश्वत देता है, राजनैतिक जोड़-तोड़ और अन्य छपित हथकंडों के लिए अपने पैसे का इस्तेमाल करता है।

यह स्पष्ट है कि पूंजीवादी चुनाव-व्यवस्था शोषण और जातीय उत्पीड़न की पूंजीवादी व्यवस्था की हिफ़ाज़त के लिए ही हो सकती है। वह जनता को कभी देश का स्वामी बनने का हक़ नहीं देगी। पूंजीपति वर्ग अपनी चुनाव-व्यवस्था को जिस नक़ली और दिखावटी ढंग-ढाप से सुसज्जित करता है वह तक भी सिर्फ़ जनता को धोखा देने और धनिकों के शासन को क़ायम रखने के लिए होती है।

पूंजीवादी देशों में वास्तविक प्रजातंत्र नहीं हो सकता और वे जनता को वास्तविक प्रजातंत्र देने की हिम्मत भी नहीं कर सकते। जैसा कि लेनिन ने कहा है "पूंजीवादी प्रजातंत्र..... सीमित, कटा-छंटा,

झूठा और पाखण्डपूर्ण है; वह अमीरों के लिए एक स्वर्ग और ग़रीबों व शोषितों के लिए एक जाल और धोखा है, पूंजीवाद के अंतर्गत ऐसा ही रहेगा भी"।

लेकिन सब को मालूम है कि पूंजीवादी देशों, ख़ास कर अमरीका और अमरीका के अधीन देशों का पूंजीपति वर्ग इस पाखण्डपूर्ण पूंजीवादी प्रजातंत्र को भी धीरे धीरे तिलांजलि दे रहा है। जैसा कि कामरेड स्तालिन ने कहा है उन देशों में "उदारवाद लेशमात्र भी नहीं रहा है।"

पूंजीवादी देशों के मुक़ाबले में हमारा देश एक ऐसा देश है जहां जनता हुकूमत करती है। हमारी शासन-सत्ता जनता के हाथों में है। सभी लोगों को हुकूमत का कार्य चलाने के लिए अपने प्रतिनिधियों को भेजने का अधिकार है, उन्हें शासन-संस्थाओं के काम की लगातार देख भाल करते रहने के तमाम साधन और अधिकार भी प्राप्त हैं। इस प्रकार, जनवाद को हम जितना विकसित करेंगे, लोक जनवादी डिक्टेटरशिप उतनी ही मजबूत होगी, जनता और लोक सरकार का सम्पर्क और गहरा होगा, जनता की आगे बढ़ कर काम करने की स्पिरिट पूरी तरह विकसित होगी और उसकी बुनियाद पर सरकार राज्य का प्रत्येक ठोस कार्य पूरा कर सकेगी।

हमारी चुनाव-व्यवस्था के पूर्णतया जनवादी होने का मूल कारण यही है। हमारी चुनाव-व्यवस्था पूंजीवादी चुनाव-व्यवस्था से जो सैंकड़ों गुना बेहतर है उसका मूल कारण भी यही है।

(२)

'सम्मिलित प्रोग्राम' में कहा गया है कि, "चीनी लोक गणतंत्र की शासन सत्ता जनता के हाथों में है। सभी स्तरों की जन कांग्रेसें और लोक सरकारें वे साधन हैं जिन के द्वारा जनता अपनी शासन-सत्ता का प्रयोग करती है।"

केन्द्रीय लोक सरकार के तन्ज़ीमी क़ानून में भी स्वीकार किया गया है कि "चीनी लोक गणतंत्र की सरकार जनवादी केन्द्रीकरण के सिद्धान्त पर आधारित, जन-कांग्रेस-पद्धति की सरकार है।" इन धाराओं के अनुरूप, जन राज्य-सत्ता के प्रयोग की साधन, सभी स्तरों की इन जन कांग्रेसों का चुनाव सार्वलौकिक मताधिकार के आधार पर होगा। प्रस्तावित चुनाव क़ानून के दूसरे और तीसरे अध्याय में सभी स्तरों की जन कांग्रेसों के लिए प्रतिनिधियों की संख्या निर्धारित की गई है।

इस संख्या को दो सिद्धान्तों के अनुसार निर्धारित किया गया है। पहला यह कि सभी स्तरों की जन कांग्रेसों को राज्यसत्ता का ऐसा पूर्ण समर्थ और कर्मठ यन्त्र होना चाहिए जो सभाएं बुला सके, समस्याओं पर बहस कर सके और उन्हें हल कर सके। दूसरे, सभी स्तरों की जन कांग्रेसों का जनता के साथ निकट सम्पर्क होना चाहिए। जन कांग्रेसों में समाज के जनवादी वर्गों तथा विभिन्न जातियों और नस्लों का, अपने-अपने दर्जे के अनुसार, प्रतिनिधित्व होना चाहिए। साथ ही, प्रादेशिक प्रतिनिधित्व का भी ध्यान रखा गया है। इस तरह, प्रतिनिधि हर समय, विभिन्न जातियों, वर्गों और इलाक़ों के हालात का प्रतिबिम्बित कर सकेंगे और जन कांग्रेसों के प्रस्तावों को तेज़ी से जातियों, वर्गों और इलाक़ों के लोगों तक पहुंचा सकेंगे, जिससे कि सभी लोग प्रत्येक प्रस्ताव को कार्यान्वित कर सकेंगे।

इन सिद्धान्तों के अनुसार, हम समझते हैं कि, श्याङ, क़स्बों, और म्युनिसिपल ज़िलों के बुनियादी स्तरों के राज्यसत्ता के अङ्गों में बहुत अधिक प्रतिनिधियों का होना अवाञ्छनीय है। क्योंकि अधिवेशन जल्दी-जल्दी होंगे और व्यावहारिक समस्याएं बहुत होंगी, इस लिए यदि प्रतिनिधि बहुत अधिक हुए तो उन्हें समस्याओं पर विस्तार से बहस करने और उनका समाधान करने में कठिनाई होगी और काफ़ी समय व शक्ति ख़र्च होगी। इसलिए, प्रस्तावित चुनाव क़ानून में कहा गया है कि प्रत्येक श्याङ और क़स्बे से, ग्राम

तौर पर, १५ से ३५ तक प्रतिनिधि होंगे और प्रत्येक म्युनिसिपल ज़िले से ३५ से २०० तक प्रतिनिधि होंगे। यह बिल्कुल ठीक है। इसके अमल में आने पर अधिक जनसंख्या वाले श्याड, क़स्बों और म्युनिसिपल ज़िलों के प्रतिनिधियों को अपने निर्वाचकों की बड़ी संख्या से घनिष्ठ सम्पर्क बनाए रखने में कुछ कठिनाई हो सकती है, लेकिन इस कठिनाई को मुनासिब तरीकों से दूर किया जा सकता है।

इसी तरह, हम समझते हैं कि काउंटी जन कांग्रेसों में भी बहुत अधिक प्रतिनिधियों का होना अवांछनीय है। क्योंकि उन्हें ठोस समस्याओं को हल करना होगा, सभाओं की संख्या भी साल भर में कम नहीं होगी और उन्हें कभी कभी विशेष सभाएं भी बुलानी होंगी, इस लिए बहुत अधिक प्रतिनिधियों का होना असुविधाजनक होगा। प्रस्तावित चुनाव-क़ानून में कहा गया है कि, काउंटी की जन कांग्रेसों में, आम तौर पर, प्रतिनिधियों की संख्या १०० से ३५० तक होगी, और ख़ास हालात में ४५० तक हो सकेगी, क्योंकि कुछ काउंटियों में श्याड की संख्या ख़ास तौर पर ज़्यादा होगी और हर श्याड का प्रतिनिधित्व होना आवश्यक है।

प्रान्तीय और म्युनिसिपल जन कांग्रेसों के लिए प्रतिनिधियों की संख्या अपेक्षया अधिक निश्चित की गई है। ऐसा इस लिए किया गया है क्योंकि प्रांत या म्युनिसिपैलिटी काफ़ी बड़े इलाक़ों को घेरती है और उसे अपेक्षया बड़ी समस्याएं हल करनी पड़ती हैं। प्रतिनिधियों की एक समुचित संख्या आवश्यक है ताकि पेचीदा समस्याओं को सुलझाने के लिए सभी क्षेत्रों और ज़िलों के प्रतिनिधि शामिल हो सकें। यद्यपि प्रतिनिधियों की संख्या अपेक्षया अधिक होगी, फिर भी, इस से अधिक असुविधा नहीं होगी, क्यों कि प्रांतीय जन कांग्रेसों की सभाएं उतनी जल्दी जल्दी नहीं होंगी और जहां तक म्युनिसिपल जन कांग्रेसों का सवाल है, उनके लिए सभाएं बुलाना आसान होगा। प्रस्तावित चुनाव क़ानून में कहा गया है कि प्रांतीय जन कांग्रेसों में

प्रतिनिधियों की संख्या, आम तौर पर, १०० से ५०० तक होगी और खास हालात में ६०० तक हो सकेगी। म्युनिसिपल जन कांग्रेसों में प्रतिनिधियों की संख्या ५० से कम और ८०० से अधिक नहीं होगी। यह बिल्कुल ठीक है।

प्रस्तावित चुनाव क़ानून के तीसरे अध्याय के आधार पर हिसाब लगा कर देखा जाए तो अखिल चीनी जन कांग्रेस के प्रतिनिधियों की संख्या लगभग १२०० होगी। यह संख्या यद्यपि सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत के दोनों सदनों की कुल संख्या से कुछ कम है, फिर भी किसी भी अन्य देश की लोक सभा से कहीं ज्यादा है। मौजूदा हालात में यह हमारे जैसे देश के लिए उपयुक्त है।

यह बता देना ज़रूरी है कि, प्रस्तावित चुनाव कानून में सभी स्तरों की जन कांग्रेसों के लिए प्रतिनिधियों की जो संख्या तय की गई है वह सभी केन्द्रों की मौजूदा जन-प्रतिनिधि कांग्रेसों के प्रतिनिधियों की संख्या से, ज्यादातर स्थानों में, कम और बहुत कम है। बहुत अधिक प्रतिनिधियों से यद्यपि प्रचार कार्य में, जनता को संगठित करने में और कार्यकर्ताओं की शिक्षा के काम में बहुत मदद मिलती है, फिर भी इनसे जन कांग्रेसों को अपना कार्य करने में और अधिकारों के प्रयोग में असुविधा होगी।

यह भी ध्यान देने योग्य है कि प्रस्तावित चुनाव क़ानून में प्रांतीय और काउंटी जन कांग्रेसों में प्रतिनिधियों की संख्या लचकदार रखी गई है। उदाहरणार्थ, २ करोड़ से कम जनसंख्या वाले प्रांतों में प्रतिनिधियों की संख्या १०० से ४०० तक होगी, ऐसा इस लिए किया गया है क्योंकि विभिन्न प्रांतों और काउंटियों की जनसंख्या में, उनकी अन्तर्गत इकाइयों की संख्या में, अल्पसंख्यक जातियों के वितरण में और शहरी तथा देहाती आबादी की औसत में अन्तर है। चुनाव-कानून को विभिन्न इलाक़ों के जुदा-जुदा हालात को मद्देनज़र रखना था, और प्रतिनिधियों की संख्या तय करते समय, उन हालात के मुताबिक मुनासिब लचक रखनी थी।

मसविदे में जन कांग्रेसों के लिए चुने जाने वाले प्रतिनिधियों की जो संख्या तय की गई है वह उपरोक्त नियमों के अनुसार की गई है।

इसमें विभिन्न इलाक़ों से चुने जाने वाले प्रतिनिधियों की संख्या वहां की जनसंख्या के आधार पर तय की गई है, साथ ही, वहां के ख़ास हालात का भी ख़्याल रखा गया है। श्याङ, क़स्बों और म्युनिसिपल ज़िलों में जन-कांग्रेसों के प्रतिनिधियों का चुनाव पूर्णतया जनसंख्या पर आधारित है। इस-का अर्थ है कि श्याङ, क़स्बे और म्युनिसिपल ज़िले की जन कांग्रेस में प्रत्येक प्रतिनिधि एक सी संख्या के लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा। काउंटी और प्रांतीय स्तर पर, इस बात का ख़्याल रखना आवश्यक है कि जहां उनके अधीन हर क़स्बे या काउंटी का प्रतिनिधित्व आवश्यक है, वहां यह भी आवश्यक है कि जन कांग्रेसों में कुल प्रतिनिधियों की संख्या सीमित हो। इसी लिए यह व्यवस्था है कि, काउंटी जन कांग्रेस के लिए बड़े से बड़े श्याङ से चुने जाने वाले प्रतिनिधियों की संख्या ३ से अधिक न होगी और प्रांतीय जन कांग्रेस के लिए बड़ी से बड़ी काउंटी से चुने जाने वाले प्रतिनिधियों की संख्या ३ से पांच तक होगी, अधिक न होगी। अखिल चीनी जन कांग्रेस के लिए चुने जाने वाले प्रतिनिधियों की संख्या भी जनसंख्या पर आधारित है, लेकिन साथ ही, क्षेत्रों और इकाइयों का भी ख़्याल रखा गया है। जैसा कि स्वाभाविक है, अधिक जनसंख्या वाले प्रांतों और म्युनिसिपैलिटियों से चुने जाने वाले प्रतिनिधियों की संख्या कम जनसंख्या वाले प्रांतों और म्युनिसिपैलिटियों से चुने जाने वाले प्रतिनिधियों की संख्या से कहीं अधिक होगी। साथ ही, मसविदे में छोटे से छोटे प्रांत का भी ख़ास ख़्याल रखा गया है और यह व्यवस्था की गई है कि किसी एक प्रांत से प्रतिनिधियों की संख्या तीन से कम नहीं होगी। वस्तुतः छोटे प्रांत अधिकतर उत्तरपूर्व, उत्तरपश्चिम और दक्षिणपश्चिम में स्थित हैं। उत्तरपूर्व के अधिकतर छोटे प्रांतों की क्षतिपूर्ति उनके औद्योगिक शहरों के प्रतिनिधियों से हो जाएगी। उत्तरपश्चिम और दक्षिणपश्चिम के अधिकतर छोटे प्रांतों की क्षतिपूर्ति उनकी अल्पसंख्यक जातियों के प्रतिनिधियों से हो

जाएगी। इसलिए औसतन इन छोटे प्रांतों से प्रतिनिधियों की संख्या कम नहीं रहेगी। उदाहरणार्थ, सिंकियाङ और कान्सू के प्रतिनिधियों की संख्या शेन्सी के प्रतिनिधियों के बराबर होगी। निंगसिया से, जिसकी जनसंख्या ९००००० से कुछ ही ऊपर है, पांच प्रतिनिधि चुने जा सकेंगे। इस लिए, हमारे विचार में यह न्यायसंगत है।

मसविदे में कहा गया है कि शहरों से चुने जाने वाले प्रतिनिधियों के निर्वाचकों की संख्या, देहाती इलाकों से चुने जाने वाले प्रतिनिधियों के निर्वाचकों की संख्या से भिन्न होगी। इसमें व्यवस्था है कि प्रांतों से अखिल चीनी जन कांग्रेस के लिए हर ८००००० लोगों पर एक प्रतिनिधि चुना जाएगा, जब कि औद्योगिक शहरों से हर १००००० लोगों पर एक प्रतिनिधि चुना जाएगा। प्रांतीय, म्युनिसिपल और काउंटी जन कांग्रेसों के प्रतिनिधियों के चुनाव के सम्बन्ध में भी इसी प्रकार के नियम रखे गए हैं। म्युनिसिपलिटियां ऐसे राजनैतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक केन्द्र हैं जहां मजदूर और उद्योग धंधे एकत्रित हैं। यह नियम कि शहर और देहाती इलाकों के प्रतिनिधियों के निर्वाचकों की संख्या भिन्न भिन्न हो, वस्तुतः राज्य में मजदूर वर्ग की प्रधान भूमिका का द्योतक है और साथ ही उस प्रगति का सूचक है जो हमारे देश ने औद्योगिकरण की दिशा में की है। इस प्रकार यह नियम हमारे देश की राजनैतिक व्यवस्था और वास्तविक हालात के पूर्णतया अनुकूल है और बिलकुल ज़रूरी और सही है।

मसविदे में विभिन्न स्तरों की जन कांग्रेसों के लिए अल्पसंख्यक जातियों और सशस्त्र जन सेनाओं से चुने जाने वाले प्रतिनिधियों की एक समुचित संख्या निश्चित की गई है। मसविदे में यह भी कहा गया है कि अखिल चीनी जन कांग्रेस के लिए प्रवासी चीनियों में से, जिनकी संख्या १ करोड़ १० लाख के लगभग है, ३० प्रतिनिधि चुने जाएंगे। इस से पता चलता है कि मातृभूमि प्रवासी चीनियों का खास तौर पर ख्याल रखती है। यह बता देना ज़रूरी है कि यद्यपि मसविदे में महिला प्रतिनिधियों की संख्या निश्चित नहीं की

गई है, फिर भी जन कांग्रेसों के लिए महिला प्रतिनिधियों की एक समुचित संख्या चुनने की तरफ़ ख़ास ध्यान देना चाहिए। कोई भी जन कांग्रेस, जब तक उसमें महिला प्रतिनिधियों की समुचित संख्या न हो, व्यापक रूप से जनता की प्रतिनिधि कांग्रेस नहीं समझी जा सकती।

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, चुनाव क़ानून की धाराओं के अनुसार चुनी गईं, सभी स्तरों की जन कांग्रेसें हमारे देश की वास्तविक स्थिति और वर्ग-सम्बन्धों का सच्चा दर्पण होंगी। विभिन्न जातियों और वर्गों को जन कांग्रेसों में, अपने अपने दर्जे के मुताबिक, समुचित संख्या में प्रतिनिधि भेजने का अधिकार प्राप्त है। इस तरह ये जन कांग्रेसें वास्तव में, व्यापक रूप में, जनता की प्रतिनिधि कांग्रेसें होंगी। ऐसी जन कांग्रेसें विभिन्न जातियों की आवश्यकताओं को प्रगट कर सकेंगी और उन्हें एक जगह ला सकेंगी और इस प्रकार मज़दूर वर्ग के नेतृत्व में समस्त जनता के हितों की पूरी तरह गारण्टी कर सकेंगी।

(३)

प्रस्तावित चुनाव क़ानून में देश की विभिन्न अल्पसंख्यक जातियों के बीच होने वाले चुनावों पर एक विशेष अध्याय दिया गया है।

हमारा देश एक विशाल देश है जिसमें बहुत सी जातियां रहती हैं। मातृभूमि के निर्माण में सभी जातियों ने कमो-बेश योग दिया है। पिछले

तीन वर्षों से अधिक अर्से में, चेयरमैन माओ त्से-तुङ और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की जाति-सम्बन्धी नीति के पूरी तरह लागू होने से जातीय उत्पीड़न और जातीय भेदभाव, जो पुराने चीन में काफ़ी अर्से से चले आ रहे थे, जड़-मूल से खत्म कर दिए गए हैं और सच्ची जातीय समानता हासिल की जा चुकी है या की जा रही है। इस प्रकार चीनी लोक गणतंत्र सभी जातियों के बीच मित्रता और परस्पर सहयोग का एक विशाल परिवार बन गया है। निस्संदेह, हमारे चुनाव-क़ानून को जातियों की मित्रता और एकता के सम्बन्धों को प्रकट करना चाहिए और उन सम्बन्धों को और मज़बूत करना चाहिए।

अल्पसंख्यक जातियों की कुल जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का लगभग १४वां हिस्सा है। प्रस्तावित चुनाव-क़ानून में कहा गया है कि अखिल चीनी जन कांग्रेस में अल्पसंख्यक जातियों के १५० प्रतिनिधि होंगे। इस निश्चित संख्या के अतिरिक्त, यदि अखिल चीनी जन कांग्रेस में अल्पसंख्यक जातियों के और भी प्रतिनिधि चुने जाते हैं, तो उन्हें इन १५० में नहीं गिना जाएगा। इस प्रकार, हमारा अन्दाज़ा है कि अखिल चीनी जन कांग्रेस में अल्पसंख्यक जातियों से चुने जाने वाले प्रतिनिधियों की संख्या वस्तुतः प्रतिनिधियों की कुल संख्या का लगभग सातवां हिस्सा होगी। हम इस धारा को न्यायसंगत समझते हैं। देश में बहुत सी अल्पसंख्यक जातियों की टुकड़ियां विस्तृत रूप से बिखरी पड़ी हैं, इस लिए यह ज़रूरी हो जाता है कि उनकी ओर विशेष ध्यान दिया जाए, ताकि अखिल चीनी जन कांग्रेस में अल्पसंख्यक जातियों के प्रतिनिधियों की समुचित संख्या हो सके।

इन्हीं सब कारणों से स्थानीय जन कांग्रेसों में भी अल्पसंख्यक जातियों के प्रतिनिधियों की संख्या इसी स्पिरिट से निश्चित होनी चाहिए थी।

इसी लिए मसविदे में कहा गया है, "प्रत्येक अल्पसंख्यक जाति के, जहां कहीं भी वह एकत्र है, स्थानीय जन कांग्रेसों में अपने एक या एक से अधिक प्रतिनिधि होंगे।"

इसी कारण मसविदे में यह भी व्यवस्था है कि, "जहां एक इलाक़े में एकत्र, किसी अल्पसंख्यक जाति की जनसंख्या उस इलाक़े की कुल जनसंख्या की १० प्रतिशत से कम है, वहां उसके प्रत्येक प्रतिनिधि के निर्वाचकों की संख्या स्थानीय जन कांग्रेस के प्रत्येक प्रतिनिधि के निर्वाचकों की संख्या से उसी हिसाब से कम हो सकती है, किन्तु सिद्धान्ततः आधी से कम नहीं हो सकेगी।"

मान लीजिए कि एक काउंटी की जनसंख्या १००००० है और यह स्वीकार किया गया है कि प्रत्येक १००० लोगों पर एक प्रतिनिधि चुना जाएगा। अगर एक इलाक़े में एकत्र किसी अल्पसंख्यक जाति की जनसंख्या १०००० से कम है तो वह ऐसे प्रतिनिधि चुन सकती है जिनमें से प्रत्येक १००० से कम लोगों का प्रतिनिधित्व करे, लेकिन ५०० से कम लोगों पर प्रतिनिधि नहीं चुना जा सकेगा।

किन्तु यह नियम उन स्थानों के लिए ठीक नहीं है जहां अल्पसंख्यक जाति की जनसंख्या अपेक्षया अधिक है। उदाहरणार्थ, क्वाङ्सी में प्रांत की कुल जनसंख्या लगभग २ करोड़ है, जिस में ८० लाख से अधिक लोग अल्पसंख्यक जातियों के हैं। अगर इस नियम को लागू किया जाए, तो 'हान' जाति के लोग, प्रत्येक १००००० लोगों पर एक प्रतिनिधि के हिसाब से १२० प्रतिनिधि चुन सकेंगे जब कि अल्पसंख्यक जातियां ५०००० लोगों पर एक प्रतिनिधि के हिसाब से १६० प्रतिनिधि चुन सकेंगी। ज़ाहिर है कि यह न्यायसंगत नहीं होगा। इसी लिए मसविदे में भी कहा गया है, "जहां एक जगह पर एकत्र किसी अल्पसंख्यक जाति की कुल जनसंख्या वहां के पूरे क्षेत्र की कुल जनसंख्या की १० प्रतिशत से अधिक है, वहां उसके प्रत्येक प्रतिनिधि के निर्वाचकों की संख्या स्थानीय जन कांग्रेसों के प्रत्येक प्रतिनिधि के निर्वाचकों की संख्या के कमोबेश बराबर होगी।"

क्योंकि विभिन्न अल्पसंख्यक जातियों की जनसंख्या भिन्न भिन्न है और वे विभिन्न इलाक़ों में कहीं अधिक और कहीं कम तादाद में बिखरी हुई हैं

इसलिए स्थानीय जन कांग्रेसों में उनके प्रतिनिधियों का चुनाव, स्थानीय जन-कांग्रेसों के अपने अपने इलाक़ों की अल्पसंख्यक जातियों के ठोस हालात के आधार पर होना चाहिए। आबादी की जन-गणना के लिए और चुने जाने वाले प्रतिनिधियों के वितरण के लिए एक समान तरीक़ा ग्रहण करना चाहिए ताकि दुर्व्यवस्था से होने वाली ग़लतियों से बचा जा सके। क्योंकि मसविदे में विभिन्न हालात को मद्देनज़र रखा गया है, इसलिए विभिन्न जातियों में चुनाव के लिए केवल आम नियम ही बनाए गए हैं। विभिन्न स्तरों की लोक सरकारें और चुनाव-कमेटियां, स्थानीय हालात को मद्देनज़र रखते हुए, चुनाव और प्रतिनिधियों के वितरण के सम्बन्ध में ठोस नियम बनाएंगी। इस में संदेह नहीं कि चुनाव-क़ानून में अल्पसंख्यक जातियों के चुनाव के सम्बन्ध में जो विभिन्न धाराएं रखी गई हैं, तमाम अल्पसंख्यक जातियां पूरे जोश के साथ उनका समर्थन करेंगी। चुनाव-क़ानून पिछले तीन वर्षों में हासिल की गई जातीय एकता को बहुत मज़बूत करेगा। वह देश भर की तमाम जातियों को, चेयरमैन माओ त्से-तुङ और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में राजनैतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में और भी अधिक उन्नति करने में सहायता देगा।

(४)

प्रस्तावित चुनाव-क़ानून के छठे, सातवें आठवें और नवें अध्याय में चुनाव की प्रक्रिया व तरीक़ों के सिलसिले में विशेष नियम दिए गए हैं। ये नियम चुनाव में निर्वाचकों के अधिकारों की पूरी गारण्टी करते हैं।

प्रस्तावित चुनाव-क़ानून में कहा गया है कि, निर्वाचकों के रजिस्टर हो जाने और उनकी सूची के प्रकाशित हो जाने के बाद, प्रकाशित सूची पर एतराज़ करने वाला कोई भी निर्वाचक, सम्बन्धित चुनाव-कमेटी के पास अपील कर सकता है और चुनाव-कमेटी को पांच दिन के अन्दर अन्दर अपना फ़ैसला दे देना होगा। अगर एतराज़ करने वाला फ़ैसले से असंतुष्ट है, तो वह लोक न्यायालय में मामले को पेश कर सकता है। बुनियादी स्तरों की लोक सरकारें और चुनाव-कमेटियां, इस तरह, निर्वाचकों की रजिस्ट्री का काम ध्यानपूर्वक करेंगी। साथ ही, मसविदे में यह भी कहा गया है कि मतदाताओं की सूची चुनाव से ३० दिन पहले प्रकाशित कर दी जाएगी। इस से एतराज़ करने वालों को अपीलें और अभियोग पेश करने का काफ़ी मौक़ा मिलेगा और चुनाव-कमेटियों और लोक न्यायालयों को भी निर्वाचकों की योग्यता से सम्बन्धित उन अपीलों और अभियोगों पर संतोषजनक रूप से विचार करने का काफ़ी समय मिलेगा।

प्रस्तावित चुनाव-क़ानून में व्यवस्था है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी, विभिन्न जनवादी पार्टियां और जन संगठन तथा ऐसे निर्वाचक और प्रतिनिधि जिन का उपरोक्त पार्टियों और संगठनों से कोई सम्बन्ध नहीं है, सभी, अलग अलग या एक साथ चुनाव-क्षेत्रों और चुनाव इकाइयों के लिए उम्मीदवारों की सूची पेश कर सकते हैं। इस में संदेह नहीं कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी, विभिन्न जन वादी पार्टियों और जन संगठनों द्वारा सम्मिलित नामज़दगी ही जन कांग्रेसों के लिए उम्मीदवारों की सूची पेश करने का मुख्य तरीक़ा हो सकता है और होना भी चाहिए। फिर भी, ऐसी भी व्यवस्था है कि निर्वाचक या प्रतिनिधि उम्मीदवारों के नाम अलग अलग भी पेश कर सकते हैं, इससे निर्वाचकों या प्रतिनिधियों को अपनी राय ज़ाहिर करने का अधिक मौक़ा मिलेगा। मौजूदा हालात में यह लाभदायक ही है। पिछले चुनावों के तजुर्बों के आधार पर, नामज़दगी के बाद उम्मीदवारों की सूची पहले ही प्रकाशित हो जानी चाहिए, ताकि बुनयादी स्तर के चुनाव-क्षेत्रों में निर्वाचकों के अन्दर और जन कांग्रेसों

में प्रतिनिधियों के ग्रुपों के अन्दर उस पर अच्छी तरह बहस हो सके। ऐसी जनतांत्रिक बहस के ज़रिए निर्वाचक उम्मीदवारों के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर सकेंगे और अलग अलग उम्मीदवारों के बारे में अपनी राय क़ायम कर सकेंगे, जिसके आधार पर चुनाव से पहले उम्मीदवारों की सूची में आवश्यक रद्दोबदल की जा सकेगी। मसविदे में यह भी कहा गया है कि निर्वाचक, उम्मीदवारों की सूची के अनुसार वोट दे सकते हैं और अपनी पसन्द के अन्य निर्वाचकों को भी वोट दे सकते हैं। इस पद्धति से निर्वाचकों की राय पूरी तरह प्रकट हो सकती है और चुनाव पूरी तरह कामयाब हो सकते हैं।

प्रस्तावित चुनाव क़ानून में कहा गया है कि, चुनाव के दौरान में बुनियादी स्तर के ग्यारह, कस्बों, म्यूनिसिपल ज़िलों और ज़िले सहित म्यूनिसिपैलिटियों को, अलग अलग चुनाव-सभाएं बुलाने और चुनाव करने के लिए, निर्वाचकों की रिहाइश के अनुसार, कई चुनाव-क्षेत्रों में बांटा जा सकता है, ताकि मतदान निर्वाचकों के घरों के पास ही हो सके। इससे सभी निर्वाचकों को चुनाव में हिस्सा लेने में सुविधा होगी।

प्रस्तावित चुनाव-क़ानून में चुनाव के दौरान में ग़ैर-क़ानूनी हरकतों के इस्तेमाल को रोकने के लिए भी आवश्यक धाराएं दी गई हैं। इसमें कहा गया है कि लोक न्यायालयों और लोक ट्रिब्युनलों द्वारा, चुनाव को क्षति पहुंचाने वालों को तथा हिंसा, धमकी, धोखा, रिश्वत या अन्य ग़ैर-क़ानूनी तरीक़ों से निर्वाचकों को उनके चुनने और चुने जाने के अधिकार का आज़ादी से प्रयोग करने में रोकने वालों को सज़ा दी जाएगी, ख़ासकर उन लोगों को जो चुनाव के जाली दस्तावेज़ तैयार करेंगे, वोटों की संख्या को ग़लत करेंगे या अन्य धोखाधड़ी के हथकंडों का इस्तेमाल करेंगे। इसमें यह भी कहा गया है कि लोक सरकार या चुनाव-कमेटी के उन सदस्यों और कर्मचारियों को, जो अभियोग लगाने वालों के ख़िलाफ़ बदले या दमन की कार्यवाही करेंगे, सज़ा दी जाएगी। चुनाव के दौरान में होनेवाली ग़ैरक़ानूनी

कार्यवाहियों को रोकने और उन के ख़िलाफ़ उचित क़दम उठाने के लिए हमें लोक न्यायालयों और लोक ट्रिब्युनलों को मज़बूत बनाना चाहिए। लोक न्यायालयों को चाहिए कि वे बुनियादी स्तर के चुनाव-क्षेत्रों में काम करने के लिए विभिन्न लोक ट्रिब्युनलों का संगठन करें और उन्हें वहां भेजें ताकि चुनाव का काम कामयाबी से पूरा हो सके।

उपरोक्त नियम ज़ाहिर करते हैं कि हमारी चुनाव व्यवस्था पूरी तरह जनता के हितों का प्रतिनिधित्व करती है। इस व्यवस्था की श्रेष्ठता केवल यही नहीं है कि इस में जनवादी नियम काफ़ी संख्या में दिए गए हैं, बल्कि यह भी है कि चुनाव कार्य की सभी अवस्थाओं में, यह उन नियमों को अमली जामा पहनाने के लिए व्यवहारिक, प्रभावशाली और ठोस तरीक़े निर्धारित करती है।

(५)

श्याङ, क़स्बों, म्यूनिसिपल ज़िलों और ज़िले रहित म्यूनिसिपैलिटियों की जन कांग्रेसों के चुनावों में जो काम होगा, वह अखिल चीनी जन कांग्रेस और सभी स्तरों को स्थानीय जन कांग्रेसों के चुनाव के काम की बुनियाद बनेगा। इस बुनियादी स्तर पर चुनावों के कामयाब होने से काउंटी और म्यूनिसिपैलिटी से ऊपर के स्तरों पर चुनावों में आसानी होगी।

जनवाद को पूर्ण रूप से विकसित करने से बुनियादी स्तर के इस चुनाव आन्दोलन में राज्यसत्ता की बुनियादी इकाइयों, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी और जन संगठनों के तमाम कार्यकर्ताओं को जनता की कड़ी निगरानी और फ़ैसले के अधीन काम करने से, गहरी शिक्षा मिलेगी, जिस से बुनियादी स्तर के संगठनों और उनके कार्यकर्त्ताओं में हुक्म चलाने और क़ानून और अनुशासन भंग करने की जो प्रवृत्तियां हैं, वे दूर हो सकेंगी। चुनाव में जनवाद के पूर्ण प्रयोग से गंदे तत्व, क़ानून और अनुशासन भंग करने वाले और बुनियादी इकाइयों के वे सब लोग, जो सिर्फ़ हुक्म चलाते हैं और जिन से जनता बहुत असंतुष्ट है, अपने पदों से दूर कर दिए जाएंगे। और वे लोग जिन पर जनता श्रद्धा रखती है तथा जिनका जनता से गहरा सम्बन्ध है, इन संगठनों में ऊंचे पदों पर चुने जाएंगे। इस चुनाव आन्दोलन के ज़रिए हम लोक सरकार और जनता के आपसी सम्बन्धों को मज़बूत कर सकेंगे और कार्यकर्ताओं के काम करने के ढंग को बेहतर बना सकेंगे। इसके अलावा, क्योंकि सभी स्तरों की स्थानीय जन कांग्रेसों का चुनाव जनसंख्या के आधार पर होना है, इस लिए हम निर्वाचकों की रजिस्ट्री के साथ साथ राष्ट्रीय पैमाने पर अपने देश की जनगणना भी कर सकेंगे।

बुनियादी स्तर पर सबसे भारी काम निर्वाचकों की रजिस्ट्री का है। इसे कामयाबी के साथ पूरा करने के लिए अत्यधिक कार्यकर्ताओं की ज़रूरत है। कारण, निर्वाचकों की संख्या बहुत अधिक है और जनगणना ज़रूरी करनी होगी। निर्वाचकों की रजिस्ट्री में सबसे बड़ी समस्या यह तय करना है कि कौन निर्वाचक हो सकता है और कौन नहीं। इस सिलसिले में, शहरी और देहाती इलाक़ों में किए गए जनवादी सुधारों के कारण पैदा होने वाले, बहुत से ऐसे प्रश्न हैं, जो अभी तक हल नहीं हुए हैं, उन्हें अब हल करना होगा। मसलन, ज़मींदार वर्ग के तत्वों के सम्बन्ध में हमें यह मालूम करना होगा कि, ऐसे कौन से लोग हैं जिन्हें पांच साल से अधिक अर्से की मेहनत ने सुधार दिया है, जो पूरी तरह क़ानून के पाबन्द हो गए हैं, और जिन्होंने कोई प्रतिक्रिया-

वादी कार्य नहीं किया है और इस लिए जिनकी वर्ग-स्थिति अब बदल जानी चाहिए और जिन्हें क़ानून के अनुसार, राजनैतिक अधिकार मिल जाने चाहिएं। हमें यह भी देखना होगा कि कौन हैं जिन्होंने इन शर्तों को पूरा नहीं किया है और इस लिए जिनकी वर्ग-स्थिति नहीं बदलनी चाहिए। जहां तक ज़मींदारों के बेटों और बेटियों का सवाल है, हमें यह देखना होगा कि कौन हैं जिन्होंने शोषण में हिस्सा नहीं लिया है, जो सरकारी क़ानूनों और आदेशों के वफ़ादारी से पाबन्द रहे हैं, और इस लिए जिन्हें राजनैतिक अधिकार मिल जाने चाहिएं। हमें यह भी देखना होगा कि कौन हैं जिन्होंने इन शर्तों को पूरा नहीं किया है और इस लिए जिन्हें राजनैतिक अधिकार नहीं मिलने चाहिएं। जहां तक अमीर किसानों का सम्बन्ध है, आम तौर पर उनके बारे में यह सवाल नहीं उठता कि राजनैतिक अधिकार हैं या नहीं, अर्थात् उनके राजनैतिक अधिकार हैं। लेकिन, पहले के आज़ाद इलाक़ों में से तत्व, जो अमीर किसानों की श्रेणी में रखे गए हैं, राजनैतिक अधिकार रखते हैं या नहीं, इस प्रश्न पर केन्द्रीय लोक सरकार की सरकारी शासन कौंसिल द्वारा ४ अगस्त १९५० को पास किए गए प्रस्ताव के अनुसार विचार और निर्णय होना चाहिए। जहां तक जनता की निगरानी में रखे गए क्रांति-विरोधियों का सवाल है, इस बात की पूरी पूरी जांच और छानबीन करनी चाहिए कि किन लोगों को जनता की निगरानी में रहने दिया जाए, किन लोगों की निगरानी की मियाद, उनमें हुए काफ़ी सुधार को देखते हुए, कम कर दी जाए या हटा दी जाए, यद्यपि अभी उन्हें राजनैतिक अधिकार नहीं दिए जाएं, किन लोगों को, उनमें हुए बहुत अधिक सुधार को देखते हुए, निगरानी से मुक्त कर राजनैतिक अधिकार दे दिए जाएं और कौन लोग हैं जो अन्यायपूर्वक जनता की निगरानी में रखे गए हैं और इस लिए जिनके राजनैतिक अधिकार वापस दे दिए जाएं। साथ ही, निर्वाचकों की रजिस्ट्री के समय उन क्रांति-विरोधियों को, जो पहले की छान-बीन में पकड़ में नहीं आ सके थे, पता चल जाने पर जनता की निगरानी में रखना चाहिए और राजनैतिक अधिकारों से वञ्चित कर देना

चाहिए। सारांश यह कि निर्वाचकों की रजिस्ट्री का कार्य एक बहुत ही गम्भीर कार्य है। हम, क्रांति-विरोधियों और ज़मींदार वर्ग के उन तत्वों को, जिन की वर्ग-स्थिति बदली नहीं गई है, यह इजाज़त नहीं दे सकते कि वे, ग़ैर-क़ानूनी तौर पर, पवित्र राजनैतिक अधिकार हड़प लें, न ही हम एक नागरिक को, ग़लत तरीक़े पर, अपने पवित्र राजनैतिक अधिकारों से वञ्चित होता हुआ देख सकते हैं।

बुनियादी स्तर के चुनावों से सम्बन्धित प्रत्येक कार्य—चाहे वह निर्वाचकों की रजिस्ट्री से सम्बन्ध रखता हो या जन-गणना से, निर्वाचकों की योग्यता सम्बन्धी अपीलों से ताल्लुक रखता हो या उम्मीदवारों की सूची तैयार करने और उस पर बहस करने से, चुनाव-क्षेत्र निश्चित करने के बारे में हो या चुनाव-सभाएं बुलाने के—बहुत ही महत्व-पूर्ण कार्य है, जिस की तरफ़ बहुत ही बारीकी से ध्यान देना चाहिए। चुनाव से सम्बन्धित सभी कार्यों में, हुक्म चलाने वालों, क़ानून और अनुशासन भंग करने वालों और चुनाव को क्षति पहुंचाने वालों के विरुद्ध दृढ़ता से संघर्ष करना चाहिए ताकि पूर्ण जनवाद का प्रयोग हो सके और निर्वाचकों की भारी संख्या चुनाव में सरगर्मी से हिस्सा ले सके। इस लिए, बुनियादी स्तर का चुनाव कार्य ऊंचे स्तरों की चुनाव-कमेटियों द्वारा भेजी गई कार्यकर्ताओं की टीमों के संरक्षण में होना चाहिए और बुनियादी स्तर की चुनाव-कमेटियों की अध्यक्षता का कार्य ऊंचे स्तरों की चुनाव-कमेटियों द्वारा नियुक्त, ग़ैर-मुक़ामी कार्यकुशल कार्यकर्ताओं को करना चाहिए। विशेष ट्रेनिंग प्राप्त, कार्यकर्ता जब काफ़ी संख्या में बुनियादी स्तर के चुनाव कार्यों में हिस्सा लेंगे और उनकी देखरेख करेंगे तभी इस चुनाव-क़ानून को बुनियादी स्तर पर सख़्ती से लागू किया जा सकेगा।

---

(६)

चुनाव-क़ानून के स्वीकार किए जाने और लागू होने के फ़ौरन बाद ही, चुनाव-क़ानून को सख़्ती से लागू करने व उसके सञ्चालन के लिए केन्द्रीय और स्थानीय स्तरों पर चुनाव-कमेटियां बना दी जाएंगी और चुनावों के काम को समान स्तर की लोक सरकारों और ऊंचे स्तर की चुनाव-कमेटियों के नेतृत्व में चलाने के लिए आवश्यक दफ़्तर खोल दिए जाएंगे।

प्रस्तावित चुनाव-क़ानून में केन्द्रीय और स्थानीय स्तरों की चुनाव-कमेटियों के काम और संगठन के सम्बन्ध में स्पष्ट और विस्तृत नियम बनाए गए हैं। काम की सुविधा के लिए कमेटियों के सदस्य अधिक नहीं होंगे। फिर भी, सारे देश में कमेटियों के सदस्यों की कुल संख्या लगभग २० लाख होगी। यह हमारा पहला चुनाव है, काम पेचीदा और भारी है और तजुर्बे की कमी है, इस लिए अगर चुनाव-कमेटियां बहुत ही कार्यकुशल न हुईं तो वे अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा नहीं कर सकेंगी। इस लिए चुनाव कार्य को सुविधा से करने के लिए सब से ज़रूरी है कि चुनाव-कमेटियों के लिए ऐसे व्यक्तियों को छांटा जाए जो ईमानदार और न्यायशील हों तथा जिनका जनता के साथ गहरा सम्पर्क हो।

जहां तक चुनाव-कमेटियों के सदस्यों के उम्मीदवार चुने जाने का सवाल है, यानि उन्हें चुने जाने के अधिकार से वञ्चित किया जाए या नहीं, हम समझते हैं कि ऐसे नियमों की, जो उन्हें चुने जाने के अधिकार से वञ्चित कर दें, कोई आवश्यकता नहीं है। यह इस लिए कि चुनाव अधिकतर अप्रत्यक्ष होंगे, सभी स्तरों की जन कांग्रेसों के चुनाव, कमेटियों द्वारा नहीं बल्कि कांग्रेसों के सभापति-मण्डलों द्वारा सञ्चालित होंगे, और बुनियादी स्तरों के चुनाव ऊंचे स्तरों की चुनाव-कमेटियों द्वारा भेजी गई कार्यकर्ताओं की टीमों के निरीक्षण और नेतृत्व में होंगे।

विभिन्न चुनाव कमेटियों को, जैसे ही वे बनें, अपनी कार्य-पद्धति निश्चित कर लेनी चाहिए और स्थानीय लोक सरकारों के नेतृत्व में तथा सम्बन्धित विभागों के पूर्ण सहयोग से चुनाव-क़ानून का प्रचार शुरू कर देना चाहिए; अपने इलाक़ों में इसे लागू करने के ठोस तरीक़े सोचने चाहिएं; और ऊंचे स्तरों के संगठनों की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए अपनी योजनाएं तैयार करनी चाहिएं। लेकिन यह बात ध्यान देने योग्य है कि काउंटी और म्युनिसिपल स्तरों से ऊपर की चुनाव कमेटियों का मुख्य काम बुनियादी स्तरों की कमेटियों के चुनाव कार्य की देख रेख करना और ख़ास तौर पर कार्यकर्ताओं की टीमें चुनना और उन्हें ट्रेनिंग देना है।

चुनाव-क़ानून और नीति से पूर्णतया परिचित, कार्यकर्ताओं की टीमों के अच्छी तरह तैयार हो जाने पर हम पहले कुछ ख़ास इलाक़ों में, तजुर्बे के तौर पर, चुनाव कर सकते हैं; फिर इस तरह हासिल किए तजुर्बे को धीरे-धीरे बड़े पैमाने पर लागू कर सकते हैं और सारे चुनाव कार्य को कई मंज़िलों पूरा कर सकते हैं। बुनियादी स्तर पर चुनाव का कार्य हम कुछ महीनों के अन्दर सफलता के साथ पूरा कर सकेंगे। बुनियादी स्तर पर चुनाव का कार्य यदि सफलता से पूरा हो गया तो उसकी बुनियाद पर काउंटी स्तर से ऊपर की जन कांग्रेसों के चुनाव का कार्य भी सफलता से पूरा हो जाएगा। जो भी कुछ ऊपर कहा गया है वह प्रस्तावित चुनाव-क़ानून की व्याख्या है।

अखिल चीनी जन कांग्रेस और सभी स्तरों की स्थानीय जन कांग्रेसों के लिए चीनी लोक गणतंत्र के इस चुनाव-क़ानून का स्वीकृत और प्रकाशित होना, हमारे देश के राजनैतिक जीवन की एक ऐतिहासिक महत्वपूर्ण घटना है। हमारे देश के राष्ट्रीय निर्माण की प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारम्भ जहां हमारे राष्ट्र के आर्थिक और सांस्कृतिक विकास में एक नई मंज़िल का सूचक है, वहां चुनाव-क़ानून का प्रकाशन हमारे देश के जनवादी लोकतंत्र के राजनैतिक विकास में एक नई मंज़िल का सूचक है।

मार्च १९३६ में कामरेड स्तालिन ने एलान किया था कि सोवियत संघ की नई चुनाव व्यवस्था सभी सरकारी विभागों और जन संगठनों में एक

नया उत्साह पैदा कर रही है, जो उन्हें अपने काम को बेहतर बनाने पर बाध्य करेगा। सोवियत संघ की सार्वलौकिक, समान, प्रत्यक्ष और गुप्त मताधिकार की यह व्यवस्था जनता के हाथों में एक ऐसे चाबुक की तरह होगी जो राज्य सत्ता के उन अङ्गों को, जिनका काम संतोषजनक नहीं है, बराबर सचेत करता रहेगा।

निस्संदेह, हमारा चुनाव-क़ानून अभी उतना पूर्ण नहीं है जितनी कि १९३६ के बाद से सोवियत संघ की चुनाव व्यवस्था हो गई है, फिर भी, आम तौर पर, इसका प्रभाव वैसा ही होगा। सभी स्तरों की लोक सरकारों की कार्य-क्षमता इससे बढ़ेगी। नौकरशाही मनोवृत्ति वालों, हुक्म चलाने वालों और क़ानून व अनुशासन भंग करने वालों को यह नंगा कर देगा। जनता और लोक सरकार के सम्बन्धों को और मज़बूत करेगा और लोक जनवादी डिक्टेटरशिप की शासन-प्रणाली को मुकम्मिल बनाएगा। देश की विभिन्न जातियों की एकता को सुदृढ़ करेगा और लोक जनवादी संयुक्त मोर्चे को और मज़बूत और विकसित करेगा।

इस में भी कोई संदेह नहीं कि हमारा चुनाव-क़ानून जनता की क्रियात्मक शक्ति और आगे बढ़ कर काम करने की स्पिरिट को खूब विकसित करेगा और "अमरीकी आक्रमण का विरोध करो, कोरिया की सहायता करो" संघर्ष में पूर्ण विजय प्राप्त करने के लिए, राष्ट्रीय निर्माण योजनाओं की पूर्ति के लिए और इस प्रकार, अपने देश को निश्चित गति से समाजवाद की ओर ले जाने के लिए, पूरे राष्ट्र को चेयरमैन माओ त्से-तुङ, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी और केन्द्रीय लोक सरकार के चारों ओर संगठित करेगा।

हमारा चुनाव-क़ानून चीनी जनता के उस कठोर और निर्मम संघर्ष का मधुर विजय फल है जो उसने चेयरमैन माओ त्से-तुङ और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में वर्षों चलाया है। देश भर के लोग खुशियां मना कर इसके जन्म का स्वागत करेंगे और अपनी ठोस कार्यवाहियों द्वारा इसे लागू करने की दृढ़ता से कोशिश करेंगे।

———

शुद्धि-पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
८	८	औद्यौगिक	औद्योगिक
८	१२	आखिल	अखिल
८	२२	आखिल	अखिल
१०	४	आखिल	अखिल
२२	१	धारा ५३	धारा ६३
२७	१	समायिक	सामयिक
२८	२	नितन्त	नितान्त
३०	१	तजुर्बा	बुर्जुआ
३०	१८	वञ्चित	वञ्चित
३०	२३	वञ्चित	वञ्चित
३१	२	वञ्चित	वञ्चित
३१	८	वञ्चित	वञ्चित

★